सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 197 राँची, बुधवार, 1 वैशाख, 1938 (श०)
22 मार्च, 2017 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

22 मार्च, 2017

संख्या-02/कृ०गो०विविध-73/2016-862**/कृ०,--** भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के निर्देश के आलोक में ''सेवोत्तम'' कार्यक्रम के तहत कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड से संबंधित 'सिटिजन चार्टर' (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न) को अधिसूचित किया जाता है ।

आदेश:- परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सिटिजन चार्टर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से संपूर्ण राज्य में प्रभावी होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० नितिन मदन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

परिशिष्ट-1

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
Citizen Charter

नेपाल हाऊस, डोरंडा
झारखण्ड, राँची
पिन-834002

विभाग का वेबसाईट - ***www.agri.jharkhand.gov.in***

सिटीजन चार्टर मूल रूप से किसी संस्थान से संबंधित भागीदारों के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित एक घोषणा है जिससे कि आम जनता को संस्थान अथवा विभाग से प्राप्त होने वाले सेवाओं तथा उसमें लगने वाले समय के विषय में जानकारी उपलब्ध रहें । इससे संस्थान अपने कार्यकलाप को पारदर्शी, उत्तरदायी तथा आमजनता के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में प्रयासरत हो जाता है । इससे विभाग से संबंधित सभी व्यक्ति को विभाग से मिलनेवाली सेवाओं की जानकारी हो जाती है तथा साथ ही सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उनके क्या कर्त्तव्य है उसकी भी जानकारी उन्हें उपलब्ध रहती है । इस प्रकार सिटीजन चार्टर किसी भी संस्थान को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी बनाने तथा जनता के प्रति सुविधाजनक तरीके से सेवाओं को प्रदान करने की ओर प्रयासरत हो जाता है ।

झारखण्ड राज्य की लगभग 76% की आबादी का मुख्य आधार कृषि है । राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या 26.20% है, जिसमें पश्चिम सिंहभूम, रॉची, गुमला, सिमडेगा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज तथा खूंटी जिले प्रमुख है । राज्य की कुल जनसंख्या का 51.32% पुरूष तथा 48.67% महिलाएं हैं । राज्य में 11.56% Cultivator तथा 13.45% ग्रामीण मजदूर कृषि तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों से जुड़े हैं । कृषि विकास की योजनाएँ एवं उन्नत/ आधुनिक तकनीक किसानों तक सुगमता से पहुँचाने के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग प्रयत्नशील है ।

इस विभाग के अंतर्गत तीन प्रक्षेत्र यथा **कृषि, पशुपालन** एवं **सहकारिता** है।

कृषि प्रक्षेत्र:-

- कृषि निदेशालय
- भूमि संरक्षण निदेशालय
- उद्यान निदेशालय
- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय
- झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद

<u>कृषि निदेशालय</u>

<u>कृषि निदेशालय के दृष्टिकोण</u>

- खाद्यान्न उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना ।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराना ।
- कृषि यांत्रिकीकरण के तहत किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराना ।
- अनुदानित दर पर किसानों के बीच बीज वितरण कर कृषि उपादान उपलब्ध कराना ।
- रबी एवं खरीफ फसलों में कीट-व्याधियों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम करना ।
- कृषि महोत्सव एवं कृषि रथ कार्यक्रम द्वारा किसानों के बीच तकनीकी जागरूकता लाकर उनका मनोबल एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना ।
- जलस्त्रोत स्थित पानी एवं मिट्टी में उपस्थित नमी को बढ़ाकर फसल उत्पादन एवं सघनता बढ़ाना ।

- राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में अधिक से अधिक विभिन्न फसलों का बीज उत्पादन कराना ।
- विभिन्न स्तर के क्षेत्रीय पदाधिकारी/कर्मचारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों को नियमित रूप से किसानों के सम्पर्क में रखना, उनकी समस्याओं के समाधान एवं निराकरण करना ।
- उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी के विक्रय का अनुज्ञप्ति निर्गत एवं अधिक से अधिक नमूना प्रयोगशाला में एकत्रित कर गुणवत्ता की जाँच करना ।
- किसान मेला एवं कृषक गोष्ठी आदि क्रिया-कलापों द्वारा कृषि /पशुपालन/ मत्स्य पालन/गव्य विकास आदि विषयों पर नई तकनीक को किसानों तक पहुँचाना ।
- किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्ध कराना ।
- आपदा की स्थिति में किसानों को फसल बीमा योजना के संदर्भ में समुचित जानकारी उपलब्ध कराना ।

<u>कृषि निदेशालय का लक्ष्य</u>

कृषि निदेशालय के विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर निम्न योजनाएँ वर्तमान में राज्य में क्रियान्वित की जा रही है:-

फसल के बीजों का अनुदान पर वितरण।	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।**
झारखण्ड कृषि कार्ड।	**शत-प्रतिशत बीजोपचार की योजना।**
गन्ना विकास की योजना।	**सीड बीन।**
कृषि क्लीनिक।	**बीज प्रसंस्करण इकाई।**
बीज उत्पादन।	**पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना।**
कृषि मेला कार्यशाला प्रदर्शनी आदि एवं प्रशिक्षण भ्रमण, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा प्रचार-प्रसार की योजना।	**नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल एग्रीक्लचर।**
मोटे अनाज की समेकित विकास योजना।	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।**
समेकित तेलहन विकास योजना।	**नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं टेक्नोलॉजी। (क) सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्टेंशन।**
सिंगल विंडो सेन्टर की स्थापना।	**नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एण्ड ऑयल पाम।**
डबल क्रॉपिंग राईस फैलों स्कीम।	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।**
कृषि प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण।	**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।**
परती भूमि विकास योजना	

कृषि विभाग अंतर्गत प्रदायी सेवाओं के लिए समय-सीमा की विवरणी **:-**

क्रॉ	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियम समय सीमा	द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियम समय सीमा
1	उर्वरक का थोक विक्रय	कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची।	30 कार्य दिवस	विशेष सचिव-सह-निदेशक प्रशासन, कृ०,पशु० एवं सहकारिता विभाग	15 कार्य दिवस	सचिव, कृ०,पशु० एवं सहकारिता विभाग	15 कार्य दिवस
2	उर्वरक का विनिर्माण	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
3	कीटनाशी का थोक विक्रय	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4	कीटनाशी का विनिर्माण	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
5	बीज का थोक विक्रय	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6	खाद की खुदरा दुकान	जिला कृषि पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	संयुक्त निदेशक, कृषि	15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस
7	कीटनाशी की खुदरा	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
8	बीज का खुदरा दुकान	अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी	30 कार्य दिवस	जिला कृषि पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	संयुक्त निदेशक, कृषि	15 कार्य दिवस

कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (SAMETI)

कृषि क्षेत्र में कृषि प्रसार कार्य को सुचारू एवं व्यवस्थित रूप चलाने हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय परियोजना का सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन किया जाता है । जिसके चार उप मिशन निम्नवत है -

- उप मिशन कृषि प्रसार (पूर्व में कृषि प्रसार में सुधार-आत्मा योजना)
- उप मिशन बीज एवं फसल सामग्री
- उप मिशन कृषि यांत्रिकीकरण
- उप मिशन पौधा संरक्षण एवं संयत्र संघरोध

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित उप मिशन कृषि प्रसार के तहत इस राज्य में कृषि प्रसार को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक इस योजना के संचालन हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यरत संस्थान निम्नवत है -

- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार, प्रबंधन संस्थान (मैनेज, हैदराबाद) कार्यरत
- राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कृषि प्रसार प्रबंधन सह प्रशिक्षण संस्थान (समेति) कार्यरत
- जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) कार्यरत
- प्रखण्ड आत्मा कोषांग (पूर्व में प्रखण्ड तकनीकी दल)
- **प्रखण्ड के आधार पर राजस्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृति कार्यायोजना के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त होती है ।**
- **स्वीकृत कार्यायोजना के विरूद्ध राशि की प्राप्ति उपयोगिता के आधार पर होती है ।**
- **स्वीकृत कार्यायोजना के अनुसार राज्य से जिलों को एवं जिलों से संबद्ध प्रखण्ड को राशि उपलब्ध करा दी जाती है ।**

किसान कॉल सेन्टर :

- किसान कॉल सेन्टर (1800 180 1551) के द्वारा उनके समस्याओं का विशेषज्ञ तकनीकी पदाधिकारियों/वैज्ञानिकों से सूचना प्राप्त कर संतोषजनक उत्तर एवं कृषि संबंधित लघु संदेश (5 से 10 सैंकेंड का) IVRS के द्वारा सुनाया जाता है ।
- झारखण्ड राज्य से हर माह औसतन 5,000 कॉल किसान कॉल सेंटर में पहुंच रहा है जिसे और बढ़ाये जाने का प्रयास हो रहा है ।

किसान पॉर्टल :

किसान पॉर्टल में निबंधित किसानों को कृषि संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों द्वारा S.M.S. के माध्यम से किसानोपयोगी सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती है ।

- प्रसार भारती के सौजन्य से कृषि दर्शन कार्यक्रम का वृतचित्र Youtube में अपलोड कर जिला एवं प्रखण्ड स्तर के किसानों को देखने हेतु प्रेरित किया जाता है ।

- प्रसार संबंधित गतिविधियों जैसे - किसान पाठशाला, कृषक मित्र एवं प्रत्यक्षण को Extension Reforms Monitoring Systems (ERMS) के माध्यम से किसान पॉर्टल में जोड़कर स्थानीय सूचना उपलब्ध कराया जा रहा है ।

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि प्रसार :

- राज्य के सभी आत्मा योजना से आच्छादित जिलों एवं समेति का वेबसाईट विकसित किया गया है एवं राज्य के सभी कृषक मित्रों से आवश्यक शुल्क लेकर इफको ग्रीन सिम उपलब्ध कराया जाता है । जिससे प्रत्येक दिन चार कृषि से संबंधित Voice message प्रसारित किया जाता है ।

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)

क्रॉ	सेवाएँ	उत्तरदायी पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
1-	कृषकों को कृषि तकनीकी पर कृषि सलाह एवं मार्गदर्शन	सभी कृषि प्रसार पदाधिकारी	किसानों के समस्या का निराकरण एवं सही परामर्श	शून्य	शून्य	नि:शुल्क
2-	प्रशिक्षण - जिला स्तरीय	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड तकनीकी दल, जिला, प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति/ ग्राम पंचायत	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	आवासीय/ गैर आवासीय	नि:शुल्क
	राज्य स्तरीय	परियोजना निदेशक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा)				
	अन्तर राजकीय	परियोजना निदेशक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा)				
3-	परिभ्रमण- जिला स्तरीय	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक	प्रखण्ड तकनीकी दल, जिला, प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति/ ग्राम पंचायत	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	आवासीय/ गैर आवासीय	नि:शुल्क
	राज्य स्तरीय	परियोजना निदेशक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा)				
	अन्तर राजकीय	परियोजना निदेशक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा)				
4-	प्रत्यक्षण - फसल के नवीनतम तकनीकी को किसान के खेत में करा कर अन्य किसानों को दिखाना	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र	प्रखण्ड तकनीकी दल, जिला, प्रखण्ड कृषक सलाहकार	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सिंचाई/ यातायात सुविधा प्रक्षेत्रधारी हेतु	बीज एवं अन्य उपादान (अधिकतम रू० 4000 प्रति

क्रॉ	सेवाएँ	उत्तरदायी पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
			समिति/ ग्राम पंचायत			प्रत्यक्षण)
5-	किसान मेला - कृषि की नवीन तकनीक, कृषि यंत्र, उत्कृष्ठ फसल (फल, फूल, सब्जी), आदि का प्रदर्शन	परियोजना निदेशक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र	सभी कृषक	सभी इच्छुक कृषक	जिला/प्रखण्ड स्तर पर आयोजन	नि:शुल्क
6-	कृषक गोष्ठी	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	ग्राम/पंचायत स्तर (गैर आवासीय)	नि:शुल्क
7-	कृषक वैज्ञानिक अन्तर मिलन	परियोजना निदेशक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा)	आवश्यकता आधारित प्रति प्रखण्ड दो से चार किसान	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	जिला/प्रखण्ड स्तर (गैर आवासीय)	नि:शुल्क
8-	कृषि के नये तकनीकों का प्रचार प्रसार हेतु लिफलेट, फोल्डर एवं पोस्टर आदि का मुद्रण एवं वितरण	परियोजना निदेशक एवं उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक	अभिनव तकनीक		लिफलेट, फोल्डर एवं पोस्टर आदि का मुद्रण एवं वितरण	नि:शुल्क

क्रॉ	सेवाएँ	उत्तरदायी पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
9-	कृषक पाठशाला - इसमें किसानों के समूह को एक हेक्टेयर क्षेत्र में प्रत्यक्षण कराते हुए विभिन्न स्तरों पर खेत में 6 बार प्रशिक्षण	प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ सहायक तकनीकी प्रबंधक/ पाठशाला संचालक	प्रखण्ड तकनीकी दल, जिला, प्रखण्ड कृषक सलाहकार समिति/ ग्राम पंचायत	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	चिन्हित फसल (गैर आवासीय)	नि:शुल्क

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-धान

क्रं.स.	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
1-	संकुल प्रत्यक्षण - फसल के नवीनतम तकनीकी को किसान के खेत में करा कर अन्य किसानों को दिखाना	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी/ तकनीकी सहायक	संकुल आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सिंचाई / यातायात सुविधा प्रक्षेत्रधारी हेतु	बीज एवं अन्य उपादान
	क. सोल क्रोप					(अधिकतम रू० 7500 प्रति हेक्टेयर)
	ख. सिक्वेंस क्रोप					(अधिकतम रू० 12500 प्रति हेक्टेयर)
2-	बीज वितरण - कृषकों के बीच बीज वितरण	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	उन्नतशील प्रभेद रू० 10/- प्रति किलो एवं संकर रू० 50/- प्रति

क्रं.स.	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
		/तकनीकी सहायक/लैम्प्स एवं पैक्स के पदाधिकारी				किलोग्राम अनुदान
3-	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन - बोरेक्स, चुना/डोलोमाईट	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी/ तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	बोरेक्स-50 प्रतिशत या रू० 500/- एवं चुना/ डोलोमाईट-50 प्रतिशत या रू० 1000/- जो दोनो में कम अनुदान
4-	समेकित कीट प्रबंधन - पौधा संरक्षण संबंधी रसायन, कीट व्याधि सुरक्षा, खरपतवार नाशी	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी/ तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	पौधा संरक्षण संबंधी रसायन, कीट व्याधि एवं खरपतवार नाशी 50 प्रतिशत या रू० 500/- प्रति हे० जो दोनो में कम अनुदान
5-	कृषि यांत्रिकरण - कोनोवीडर, नैपसेक स्प्रेयर, जीरोटील सीड ड्रील, सीड ड्रील, रोटाभेटर, पम्पसेट	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी/ तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	कोनोवीडर, नैपसेक स्प्रेयर-रू 600 प्रति इकाई, जीरोटील सीड ड्रील, सीड ड्रील - रू० 15000 प्रति इकाई, रोटाभेटर - रू० 35000 प्रति इकाई, पम्पसेट- रू० 10000 या 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान

क्रं.स.	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
6-	कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला - फसल के विभिन्न स्तरों पर खेत में 4 बार प्रशिक्षण	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	चिन्हित फसल (गैर आवासीय)	नि:शुल्क
7-	मृदा परीक्षक डिजिटल मिनी लैब	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	ईच्छुक कृषक	रू० 90000 प्रति इकाई या 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन

क्रॉ	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
1-	संकुल प्रत्यक्षण - फसल के नवीनतम तकनीकी को किसान के खेत में करा कर अन्य किसानों को दिखाना	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	संकुल आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सिंचाई/ यातायात सुविधा प्रक्षेत्रधारी हेतु	बीज एवं अन्य उपादान
	क. सोल क्रोप एवं इंटर क्रोपिंग	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	संकुल आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सिंचाई/ यातायात सुविधा प्रक्षेत्रधारी हेतु	(अधिकतम रू० 7500 प्रति हेक्टेयर)
	ख. सिक्वेंस क्रोप					(अधिकतम रू० 12500 प्रति हेक्टेयर)

क्रॉ	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
2-	बीज वितरण - कृषकों के बीच बीज वितरण	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक/लैम्प्स एवं पैक्स के पदाधिकारी	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	उन्नतशील प्रभेद रू० 25/- प्रति किलो या 50 प्रतिशत जो कम अनुदान
3-	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन - बोरेक्स, चुना/डोलोमाईट	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	बोरेक्स-50 प्रतिशत या रू० 500/- एवं चुना/ डोलोमाईट-50 प्रतिशत या रू० 1000/- जो दोनो में कम अनुदान
4-	समेकित कीट प्रबंधन - पौधा संरक्षण संबंधी रसायन, कीट व्याधि सुरक्षा, खरपतवार नाशी	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	पौधा संरक्षण संबंधी रसायन, कीट व्याधि एवं खरपतवार नाशी 50 प्रतिशत या रू० 500/- प्रति हे० जो दोनो में कम अनुदान
5-	कृषि यांत्रिकरण - मेनुअल स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, जीरोटील सीड ड्रील, सीड ड्रील, रोटाभेटर, पम्पसेट, रीड्ज फुरो प्लाण्टर, मल्टीक्रोप थ्रेसर	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	मेनुअल स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर-रू० 600 प्रति इकाई, जीरोटील सीड ड्रील, सीड ड्रील, रीड्ज फुरो प्लाण्टर - रू० 15000 प्रति इकाई,

क्रॉ	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शुल्क
						रोटाभेटर - रू० 35000 प्रति इकाई, पम्पसेट-रू० 10000, मल्टीक्रोप थ्रेसर-रू० 40000 या 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान
6-	कृषक प्रक्षेत्र पाठशाला - फसल के विभिन्न स्तरों पर खेत में दो खरीफ मेंएवं 2 रबी में बार प्रशिक्षण	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	चिन्हित फसल (गैर आवासीय)	नि:शुल्क
7-	स्थानीय पहल - क. थ्रेसिंग फ्लोर ख. सीड ग्रेडर ग. मिनी दाल मील	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	ईच्छुक कृषक	थ्रेसिंग फ्लोर-रू० 57500, सीड ग्रेडर-रू० 80000, मिनी दाल मील-रू0 953000 प्रति इकाई या 50 प्रतिशत जो कम हो अनुदान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज

क्रं.स.	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शूल्क	अभ्युक्ति
1-	संकुल प्रत्यक्षण - फसल के नवीनतम तकनीकी को किसान	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक	संकुल आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान	सिंचाई / यातायात	बीज एवं अन्य उपादान	

क्रं.स.	सेवाएँ	जिम्मेवार पदाधिकारी	प्रक्रिया	दस्तावेज	प्रकार	शूल्क	अभ्युक्ति
	के खेत में करा कर अन्य किसानों को दिखाना	(आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक		पत्र, जमीन रसीद	सुविधा प्रक्षेत्रधारी हेतु	(अधिकतम रू० 5000 प्रति हेक्टेयर)	
2-	बीज वितरण - कृषकों के बीच बीज वितरण	परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक (आत्मा)/ जिला परामर्शी / तकनीकी सहायक/लैम्प्स एवं पैक्स के पदाधिकारी	आवश्यकता आधारित	आधार कार्ड एवं कोई अन्य पहचान पत्र, जमीन रसीद	सभी कृषक	उन्नतशील प्रभेद रू० 15/-, संकर- रू० 50/- प्रति किलो या 50 प्रतिशत जो कम अनुदान	

कृषि प्रसार प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा (पी०जी०डी०ए०ई०एम०) :
PG Diploma in Agriculture Extension Management (PGDAEM):

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य -डिप्लोमा के माध्यम से प्रसार की नई तकनीक की जानकारी प्रसार कर्मियों को उपलब्ध कराना। प्रसार कर्मियों के क्षमता विकास एवं ज्ञानवृद्धि करना । डिप्लोमा के माध्यम से कार्यक्षमता में वृद्धि करते हुए प्रेरित करना ।

उपादान विक्रेता के लिए कृषि प्रसार सेवा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम) [D.A.E.S.I]

उद्देश्य :

- स्थानीय कृषि उत्पादन तकनीकी और क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित प्रथाओं के विशेष पैकेज के विशिष्ट फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर उन्मुखीकरण ।
- उपादानों हेतु इनपुट डीलरों का क्षमता निर्माण ।
- इनपुट डीलरों को किसानों/कृषक महिलाओं के लिए एक प्रभावी स्रोत बनाना ।
- उक्त कार्य के उपादान विक्रेताओं के ज्ञान संवर्द्धन हेतु रामगढ़, हजारीबाग, देवघर एवं गढ़वा कुल 04 (चार) केन्द्र की स्थापना किया गया है, जिससे उपादान विक्रेताओं का ज्ञान बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय कृषकों को उचित सलाह दिया जा सकेगा ।

प्रसार गतिविधियाँ

- कृषकों के ज्ञानवर्द्धन एवं क्षमता विकास हेतु जिला स्तर पर किसान मेला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन करना ।
- आत्मा द्वारा अन्तर राजकीय, राजकीय एवं जिलान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना।
- किसानों द्वारा किसानों के प्रक्षेत्र में प्रत्यक्षण अन्तर्गत कृषि प्रत्यक्षण एवं कृषि संबंद्ध क्षेत्र में प्रत्यक्षण आयोजन करना ।
- कृषकों के प्रक्षेत्र में प्रगतिशील कृषकों द्वारा कृषक पाठशाला का संचालन करना ।
- किसान वैज्ञानिक अन्तर मिलन कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित करना ।
- किसानोपयोगी प्रचार-प्रसार सामग्री का लिफ्लेट, फोल्डर, बैनर आदि को विकसित कर किसानों के बीच वितरित करना ।

नये योजना-क्लामेंट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर (CCKN-IA)

- भारत सरकार और जर्मन सरकार के संयुक्त तत्वावधान में क्लाईमेंट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडियन एग्रीकल्चर (CCKN-IA) योजना का झारखण्ड राज्य में राँची (ओरमॉझी एवं अनगढ़) एवं पूर्वी सिंहभूम (पटमदा एवं बोड़ाम) जिलों के दो-दो प्रखण्ड में चलाया जा रहा है ।

- इस कार्यक्रम के तहत आत्मा जिलों के प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक विस्तार एजेंट के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करते हैं ।
- कृषि सूचना का समुचित उपयोग के लिए कृषि सूचना प्रणाली NICE + पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी तरह की सूचना संग्रहित किया जाता है ।

<u>झारखण्ड राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी</u>

1- **बीज प्रमाणन के लिए** प्रमाणन संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में प्रमाणन हेतु आवेदन किया जा सकता है ।

2- निरीक्षण, प्रमाणन एवं बीज परिसंस्करण सयंत्रों का निबंधन शुल्क/नवीकरण शुल्क टैग पुन: बीज शुल्क एवं विलम्ब शुल्क निम्न प्रकार है-

क्रॉ	शुल्क		अभ्युक्ति
1	निबंधन शुल्क 25/- प्रति		आवेदन प्रति मौसम
2	निरीक्षण शुल्क	स्वयं परागित फसल 250 रू० प्रति हेक्टेयर	
		पदपदागित फसल - 300 रू० प्रति हेक्टेयर	
3	बीज परिसस्करण निबंधन शुल्क 3000 रू०।		
4	बीज परिसस्करण नवीकरण शुल्क 1500 रू० प्रति वर्ष।		
5	आधार टैग 3 रू० एक प्रति।		
6	प्रमाणित टैग 2.50 रू० एक प्रति।		
7	पुन: जाँच शुल्क 35 रू० प्रति नमुना।		
8	विलम्ब शुल्क 50 रू० प्रति आवेदन पत्र।		

1. प्रमाणन के निबंधन हेतु अंतिम तिथि -

क) गरमा फसल अप्रैल माह के अंत तक विलम्ब शुल्क के साथ मई माह के अंत तक ।

ख) खरीफ फसल जुलाई माह के अंत तक विलम्ब शुल्क के साथ अगस्त माह के अंत तक ।

ग) धान, कुल्थी, उरद, मूँग एवं सरगुजा अगस्त माह के अंत तक विलम्ब शुल्क के साथ सितम्बर माह के अंत तक ।

घ) रबी फसल नवम्बर माह के अंत तक विलम्ब शुल्क के साथ दिसम्बर माह के अंत तक ।

ड.) केवल गेंहूँ 15 जनवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ 31 जनवरी तक ।

मुख्यमंत्री जन संवाद कोषांग

क्र०सं०	पदाधिकारी	मोबाईल नं०
1	श्री मुकेश कुमार सिन्हा उप कृषि निदेशक (सा०) कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	7033403577

सूचना का अधिकार

विभिन्न स्तर के जन सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय पदाधिकारी:-

(क) कृषि निदेशालय, झारखण्ड हेतु

- ✓ **उप कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि निदेशालय, झारखण्ड - जन सूचना पदाधिकारी ।**
- ✓ **कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची - प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ।**

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय हेतु

- ✓ **संयुक्त कृषि निदेशक - प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ।**
- ✓ **जिला कृषि पदधिकारी - जन सूचना पदाधिकारी ।**
- ✓ **अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी (सा०) - जन सूचना पदाधिकारी/ सहायक जन सूचना पदाधिकारी ।**
- ✓ **प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी - सहायक जन सूचना पदाधिकारी ।**
- ✓ **कृषि निरीक्षक - सहायक जन सूचना पदाधिकारी ।**

भूमि संरक्षण निदेशालय

भूमि संरक्षण निदेशालय के दृष्टिकोण

1- राज्य में सरकारी /निजी तालाबों का जीर्णोद्धार कर वर्षा जल को संग्रहित करते हुए अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के साथ ही साथ सौर ऊर्जा चालित डीप बोरिंग का निर्माण करते हुए कृषि उत्पादकता हेतु सिंचाई उपलब्ध कराया जाना ।

2- महिला समूहों के बीच कृषि यांत्रिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना करते हुए समूह के द्वारा यंत्रो का उपयोग स्वयं तथा अन्य को भाड़े पर उपलब्ध कराया जाना ।

<u>भूमि संरक्षण निदेशालय का लक्ष्य:-</u>

क्रॉ	योजना का नाम	अनुदान	योजना का कार्यान्वयन	उत्तरदायी पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1	बंजर भूमि/राईस फैलो विकास योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत पाँच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाबों को मशीन द्वारा	सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान	तालाब से लाभान्वित कृषकों द्वारा गठित पानी पंचायत समिति के द्वारा मशीन के मशीन के माध्यम से तालाब जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है । योजना कार्य पूर्ण करने की कालावधि **50** दिन ।	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी
2	जलनिधि योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलो में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत डीप बोरिंग के निर्माण की योजना	सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान	डीप बोरिंग से लाभान्वित कृषकों द्वारा गठित पानी पंचायत समिति के द्वारा मशीन के माध्यम से कार्य किया जाता है। योजना बनाओ अभियान के तहत् चयनित योजनाओ का आवेदन पत्र सिंगल विंडो सेंटर के माध्यम से अथवा भूमि संरक्षण कार्यालय में कृषक के द्वारा जमा किये जाने के उपरांत योजना स्थल का सर्वेक्षण कार्य/योजना अभिलेख से संबंधित अन्य कार्य इत्यादि पूर्ण होने के उपरांत अधिकतम **50** दिनो में किया जाना है।	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी

3	महिला स्वयं सहायता समूहो के लिए कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन की योजना	सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान	झारखण्ड स्टेट लाइवलीहूड प्रोमोशन सोसायटी (JSLPS) द्वारा उपलब्ध कराये गये महिला स्वयं सहायता समूहों की सूची के बीच ही उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जाता है । जिसके तहत् समूह द्वारा छोटे परन्तु उपयोगी कृषि यंत्र आवश्यकतानुसार क्रय किया जाना है । महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा प्राप्त सूची का अनुमोदन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी से अनुमोदनोपरान्त योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति संबंधित लाभूक को दी जायेगी तदोपरान्त कृषक के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कृषि यंत्र का क्रय किये जाने के उपरांत क्रय किये गये कृषि यंत्रो का रसीद, आधार नं० एवं बचत बैंक खाता की विवरणी के साथ अनुदान की राशि का दावा संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में किये जाने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर अनुदान की राशि संबंधित समूहों के खाता में RTGS के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी ।	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी

4	छोटे एवं सीमान्त कृषको तथा स्वयं सहायता समूहों/ किसान क्लब को पम्प सेट वितरण की योजना	सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान	मनरेगा के तहत् निर्मित सिंचाई कूप से लाभान्वित कृषकों के बीच अनुदानित दर पर कूप के आकार के आधार पर पम्प सेट एवं HDPE Pipe का वितरण किया जाना है। सूची का अनुमोदन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी से अनुमोदनोपरान्त योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति संबंधित लाभूक को दी जायेगी तदोपरान्त कृषक के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार Pump एवं Pipe का क्रय किये जाने के उपरांत क्रय किये गये Pump एवं Pipe का रसीद, आधार नं० एवं बचत बैंक खाता की विवरणी के साथ अनुदान की राशि का दावा संबंधित भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में किये जाने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर अनुदान की राशि संबंधित समूहों के खाता में RTGS के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी ।	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण पदाधिकारी/भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी

सूचना उपलब्ध कराने संबंधी सेवायें :-

1.	जन सूचना पदाधिकारी	1.	उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची - अपने कार्यालय एवं भूमि
		2.	उप निदेशक, भूमि संरक्षण अनुसंधान, एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
		3.	जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी - सभी
		4.	सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, राँची
		5.	सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण, हजारीबाग
2.	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	1.	संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), भूमि संरक्षण निदेशालय, झारखण्ड, राँची - भूमि संरक्षण निदेशालय (मुख्यालय) एवं
		2.	उप निदेशक, भूमि संरक्षण, हेहल, राँची-भूमि संरक्षण

मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र के निदेशालय स्तर पर घोषित नोडल पदाधिकारी :-**श्री ब्रह्मदेव साह**, **सहायक निदेशक** (**सर्वे**), **भूमि संरक्षण**, **राँची ।**

<u>उद्यान निदेशालय</u>

<u>उद्यान निदेशालय के दृष्टिकोण</u>

- उद्यानिकी फसल उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि लाकर राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है ।
- बागवानी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना जिसमें बांस और नारियल भी शामिल है । इस क्रम में प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्र की जलवायु विविधता के अनुरूप क्षेत्र आधारित अलग-अलग कार्यनीति अपनाना । अनुसंधान तकनीक को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोपरान्त प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन इत्यादि ।
- कृषकों की आर्थिक सशक्तता के लिए एफआईजी, एफपीओ जैसे कृषक समूहों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- बागवानी उत्पादन की उन्नति, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी एवं पोषाहार सुरक्षा ।
- गुणवत्ता, पौध सामग्री एवं सूक्ष्म सिंचाई के प्रभावी उपयोग के द्वारा उत्पाकता में सुधार ।
- बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं में मेधा विकास को प्रोत्साहन देना और रोजगार उत्पन्न करना तथा खासकर फसलोपरान्त शीत श्रृंखला के क्षेत्र में उचित प्रबंधन ।

- राजकीय नर्सरियों एवं प्रोजनीबागों में अधिक से अधिक विभिन्न फसलों के पौधों का उत्पादन करना ।
- शीतगृह के निर्माण के पश्चात इच्छुक किसानों से प्राप्त आवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करना ताकि किसानों के उत्पाद का समुचित सुरक्षित भंडारण हो सके ।

<u>उद्यान निदेशालय के लक्ष्य</u>

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- पौष्टिक फल पौधे एवं सब्जी का विकास।
- नर्सरी की स्थापना एवं विकास।
- विशेष फसल योजना- केला उत्पादन/फूल उत्पादन।
- गुणवत्तायुक्त सब्जी एवं फूल के सैपलिंग की योजना।
- जैविक खाद उत्पादन का प्रोत्साहन।
- राज्य औषधीय मिशन /मशाला मिशन /राज्य जैविक मिशन /राज्य बागवानी मिशन

क्र.	कार्यक्रम	क्षेत्र / ईकाई	यूनिट खर्च राशि	अधिकतम अनुदान राशि (रु.)
	(iii) पौध सामग्री एवं आर्किड तथा एन्थूरियम की पॉली हाउस / शेड नेट में खेती	—	700 रु. / वर्ग मी	350 रु. / वर्ग मी
		—		
	(iv) पौध सामग्री एवं कारनेशन तथा जरबेरा की पॉली हाउस / शेड नेट में खेती।	—	610 रु. / वर्ग मी	305 रु. / वर्ग मी
	(v) पौध सामग्री एवं गुलाब तथा लीलियम की पॉली हाउस / शेड नेट में खेती	—	426 रु. / वर्ग मी	213 रु. / वर्ग मी
		—		
19.	आई.एन.एम. / आई.पी.एम. प्रोत्साहन			
	IPM	1 हे.	4000 रु.	1200 रु.
	INM	1 हे.	4000 रु.	1200 रु.
20.	जैविक खेती	1 हे.	20000 रु.	10000 रु.
21.	जैविक खेती प्रमाणीकरण (प्रोजेक्ट आधारित)	50 हे. सामुदायिक	5.00 लाख	5.00 लाख
22.	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई	1 हे.	60000 रु.	30000 रु.
23.	मधुमक्खी पालन (कॉलोनी)	—	2000 रु.	800 रु.
	(i) छत्ता	—	2000 रु.	800 रु.
24.	हार्टिकल्चर संयत्रीकरण (Mechanization)	1	50.00 लाख	50.00 लाख
	(i) FLD	4	25.00 लाख	18.75 लाख
	इन्टीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेण्ट			
25.	पैक हाउस (9 M× 6M)	1	4.00 लाख	2.00 लाख
26.	मोबाईल प्री. कूलिंग ईकाई	1	25.00 लाख	8.75 लाख
27.	शीत गृह (30 MT)	—	15.00 लाख	5.25 लाख
	कोल्ड स्टोरेज स्थापना / आधुनिकीकरण (बैक इण्डेड)		रु. 8000 / MT	अधिकतम 5000 MT
28.	रेफ्रिजरेटर वैन (9 MT) (बैक इण्डेड)	—	26.00 लाख	9.10 लाख
29.	राइपेनिंग चेम्बर	—	1.00 लाख	0.35 लाख
30.	वाष्पीकृत / कम उर्जा शीत गृह (8MT)	1	5.00 लाख	2.50 लाख
31.	प्राइमरी / मोबाईल / प्रोसेसिंग यूनिट (बैक इण्डेड)	1	25.00 लाख	10.00 लाख
32.	कम लागत प्याज संरक्षण ईकाई (25MT)	1	1.75 लाख	0.875 लाख
33.	प्रिजरवेशन यूनिट (कम लागत)	1	2.00 लाख	1.00 लाख
34.	पूसा जीरो इनर्जी कूल चेम्बर (100kg)	1	4000 रु.	2000 रु.
35.	ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी (बैक इण्डेड)	—	25.00 लाख	10.00 लाख
36.	खुदरा बाजार / दुकान (बैक इण्डेड)	1 ई.	15.00 लाख	5.25 लाख
37.	मोबाईल वेंडिंग कार्ट	1	30000 रु.	15000 रु.
38.	क्लेक्शन ग्रेडिंग एवं पैकिंग यूनिट (बैक इण्डेड)		15.00 लाख	6.00 लाख

निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड

क्र.	कार्यक्रम	क्षेत्र / ईकाई	यूनिट खर्च राशि	अधिकतम अनुदान राशि (रु.)
	(iii) पौध सामग्री एवं आर्किड तथा एन्थूरियम की पॉली हाउस / शेड नेट में खेती	—	700 रु. / वर्ग मी	350 रु. / वर्ग मी
		—		
	(iv) पौध सामग्री एवं कारनेशन तथा जरबेरा की पॉली हाउस / शेड नेट में खेती।	—	610 रु. / वर्ग मी	305 रु. / वर्ग मी
	(v) पौध सामग्री एवं गुलाब तथा लीलियम की पॉली हाउस / शेड नेट में खेती	—	426 रु. / वर्ग मी	213 रु. / वर्ग मी
		—		
19.	आई.एन.एम. / आई.पी.एम. प्रोत्साहन			
	IPM	1 हे.	4000 रु.	1200 रु.
	INM	1 हे.	4000 रु.	1200 रु.
20.	जैविक खेती	1 हे.	20000 रु.	10000 रु.
21.	जैविक खेती प्रमाणीकरण (प्रोजेक्ट आधारित)	50 हे. सामुदायिक	5.00 लाख	5.00 लाख
22.	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई	1 हे.	60000 रु.	30000 रु.
23.	मधुमक्खी पालन (कॉलोनी)	—	2000 रु.	800 रु.
	(i) छत्ता	—	2000 रु.	800 रु.
24.	हार्टिकल्चर संयत्रीकरण (Mechanization)	1	50.00 लाख	50.00 लाख
	(i) FLD	4	25.00 लाख	18.75 लाख
	इन्टीग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेण्ट			
25.	पैक हाउस (9 M× 6M)	1	4.00 लाख	2.00 लाख
26.	मोबाईल प्री. कूलिंग ईकाई	1	25.00 लाख	8.75 लाख
27.	शीत गृह (30 MT)	—	15.00 लाख	5.25 लाख
	कोल्ड स्टोरेज स्थापना / आधुनिकीकरण (बैक इण्डेड)		रु. 8000 / MT	अधिकतम 5000 MT
28.	रेफ्रिजरेटर वैन (9 MT) (बैक इण्डेड)	—	26.00 लाख	9.10 लाख
29.	राइपेनिंग चेम्बर	—	1.00 लाख	0.35 लाख
30.	वाष्पीकृत / कम उर्जा शीत गृह (8MT)	1	5.00 लाख	2.50 लाख
31.	प्राइमरी / मोबाईल / प्रोसेसिंग यूनिट (बैक इण्डेड)	1	25.00 लाख	10.00 लाख
32.	कम लागत प्याज संरक्षण ईकाई (25MT)	1	1.75 लाख	0.875 लाख
33.	प्रिजरवेशन यूनिट (कम लागत)	1	2.00 लाख	1.00 लाख
34.	पूसा जीरो इनर्जी कूल चेम्बर (100kg)	1	4000 रु.	2000 रु.
35.	ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी (बैक इण्डेड)	—	25.00 लाख	10.00 लाख
36.	खुदरा बाजार / दुकान (बैक इण्डेड)	1 ई.	15.00 लाख	5.25 लाख
37.	मोबाईल वेंडिंग कार्ट	1	30000 रु.	15000 रु.
38.	क्लेक्शन ग्रेडिंग एवं पैकिंग यूनिट (बैक इण्डेड)		15.00 लाख	6.00 लाख

निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, झारखण्ड

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के दृष्टिकोण

- झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद की स्थापना का उद्देश्य है, बाजारों की स्थापना करना और ऐसे बाजारों में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमित करना ।
- राज्य में कृषि उपज के लिए मण्डी स्थापित करना एवं किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना ।
- आधुनिक बाजार प्रांगण का निर्माण कर कृषकों एवं व्यापारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को एक ही स्थल पर क्रय-विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना ।

ई-ट्रेडिंग :-

भारत सरकार के पहल पर ई-ट्रेडिंग हेतु झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के 19 बाजार समितियों का चयन किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में बाजार समिति, राँची को सम्बद्ध किया गया है । झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के प्रस्ताव के आलोक में बाजार समिति, धनबाद, जमशेदपुर, डालटनगंज, चाईबासा, गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा को ई-ट्रेडिंग हेतु ऑनलाईन सम्बद्ध किया गया है ।

ई-ट्रेडिंग के माध्यम से किसानों के उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दूसरे राज्यों से ई-ट्रेड को बढ़ावा देना है ।

झारखण्ड के विभिन्न बाजार प्रांगण/हाट बाजार में किसानों को उनके उपज के बेहतर विपणन व्यवस्था देने हेतु आधारभूत संरचनाओं का निर्माण विपणन पर्षद/बाजार समितियों द्वारा किया गया है ।

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के लक्ष्य

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया जा चुका है, जिसमें निम्न प्रावधान किए गए है, जो विपणन Reforms में सहायक होगा:-

1) कृषि उपज के सीधी बिक्री एवं देश में कृषि मण्डी के प्रबन्धन एवं विकास में सरकारी एवं गैर सरकारी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निजी मण्डियां/यार्डों, सीधी (डायरेक्ट) विक्रय केन्द्रों, उपभोक्ता/कृषक मण्डियों के स्थापना हेतु उपबन्ध किया गया है ।
2) इसमें आलू-प्याज, फल-फूल, सब्जी आदि जैसे उत्पादों के लिए अलग से विशेष मण्डियां खोलने का भी प्रावधान किया गया है ।

3) देश में संविदा कृषि प्रबन्धन को चलाने और विकसित करने के लिए इस अधिनियम में अलग से अध्याय शामिल किया गया है, जिसमें उत्पादक के साथ कृषि वस्तुओं के किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय में कमीशन एजेन्सियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है ।

4) वैकल्पिक विपणन प्रणाली, संविदा कृषि, प्रत्यक्ष विपणन तथा कृषक/उपभोक्ता मण्डियों को बढ़ावा देने में मौजूदा कृषि उत्पादन बाजार समिति के भूमिका को पुन: परिभाषित किया गया है ।

5) इसमें मूल्य-बर्द्धन (वेल्यू एडिशन), मानकीकरण, श्रेणीकरण, गुण-प्रमाणन, मण्डी आधारित विस्तार एवं विपणन सम्बन्धी क्षेत्र में कृषक तथा मण्डी कर्मियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद की भूमिका को पुन: परिभाषित किया गया है ।

6) इसमें प्रतिभूति ऋण, ई-ट्रेरेडिंग, सीधी खरीद, निर्यात, भावी/वायदा व्यापार तथा कृषि वस्तुओं के बिक्री हेतु वेयरहाउसिंग रसीद प्रणाली को लागू करने का प्रावधान किया गया है ।

इस प्रकार झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के प्रयास से मॉडल एक्ट के माध्यम से कृषि मण्डियों में राष्ट्रव्यापी एकीकरण, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मक कृषि मण्डियों के विकास को सहज बनाने, विपणन सम्बन्धी आधारभूत संरचना में व्यापक निवेश के लिए प्रेरक वातावरण सृजित करने तथा मौजूदा मण्डियों को आधुनिक एवं सशक्त बनाने में सफलता हासिल होगी जो किसानों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के हित में काफी उपयोगी होगा ।

<u>राज्य के बाजार समितियों की सूची</u>

वर्त्तमान में झारखण्ड में कुल- 28 बाजार समितियां कार्यरत हैं, जो निम्न प्रकार हैं:- (1) राँची (2) जमशेदपुर (3) धनबाद (4) हजारीबाग (5) रामगढ़ (6) डालटनगंज, (7) बोकारो (8) गिरिडीह (9) गढ़वा (10) देवघर (11) चाकुलिया (12) गुमला (13) सिमडेगा (14) लोहरदगा (15) कोडरमा (16) सरायकेला (17) गोड्डा (18) खूँटी (19) बेरमो (20) मधुपुर (21) साहेबगंज (22) बरहरवा (23) लातेहार (24) पाकुड़ (25) चतरा (26) चाईबासा (27) जामताड़ा (28) दुमका

वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर मॉडल एक्ट लागू करने का निर्णय लिया, वर्ष 2008 में इस अधिनियम को मॉडल एक्ट के अनुरूप कुछ धाराओं को संशोधित कर पारित किया गया ।

1. राज्य सरकार द्वारा मनोनित - अध्यक्ष
2. वित्त विभाग का एक पदाधिकारी - सदस्य
3. कृषि विभाग के दो पदाधिकारी - सदस्य

4. राजस्व विभाग का एक पदाधिकारी - सदस्य
5. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन का मुख्य अभियन्ता पदेन - सदस्य
6. मुख्य नगर योजनाकार (टाउन प्लानर) पदेन - सदस्य
7. वरिष्ठ विपणन अधिकारी - सदस्य
8. भारतीय स्टेट बैंक का प्रबन्ध निदेशक - सदस्य
9. कृषक प्रतिनिधि - 5 सदस्य
10. प्रबन्ध निदेशक - सदस्य सचिव
11. निदेशक विपणन - सदस्य

समिति के कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित 18 निर्धारित हैं, जो निम्न प्रकार है :-

1. अनुमण्डल पदाधिकारी - अध्यक्ष (पदेन)
2. उपाध्यक्ष - समिति के कृषक सदस्य के बीच से निर्वाचित
3. कृषक सदस्य (7) - सदस्य
4. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से (2) - सदस्य
5. सहकारी सहयोग समिति से निर्वाचन (2) - सदस्य
6. भारतीय स्टेट बैंक से नाम निर्देशित व्यक्ति (1) - सदस्य
7. नगरपालिका/अधिसूचित क्षेत्र समिति अथवा नगर पंचायत के सदस्यों के बीच से निर्वाचित एक व्यक्ति - सदस्य
8. जिला परिषद के सदस्यों के बीच से नाम निर्देशित(1) - सदस्य
9. एक कृषि विभाग द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति - सदस्य
10. विधानमण्डल का एक सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बाजार समिति का मुख्य बाजार प्रांगण अवस्थित है - सदस्य
11. पणन सचिव - सदस्य सचिव

<u>बाजार समिति की आधारभूत संरचना</u>

विभिन्न 28 बाजार समितियों में 17 मुख्य बाजार प्रांगण अवस्थित है ।

602 हाट तथा **28** बाजार समिति में स्थित आधारभूत संरचना **:-**

प्रशासनिक भवन	17	दुकान-सह-गोदाम एवं सण्डी सॉप	5235
आच्छादित चबुतरा	2429	चापाकल	865
खुला चबुतरा	719	शौचालय	128
गोदाम	246	कुआँ	12
चेकपोस्ट	17	टी०ओ०पी०	5
बैंक भवन	14	जेनरेटर कक्ष	11
दूरभाष केन्द्र	5	पानी टंकी	12
कैन्टिन	12	सम्यक पथ एवं पुलिया	98
किसान भवन	43	कोल्ड चेन ग्रेडिंग सौर्टिंग	16
6000 मे0 टन गोदाम	22	अपनी मण्डी	9 (निर्माणाधीन)
100 मे0 टन गोदाम	55 (20 अदद में कार्य चल रहा है)		

<u>जनसूचना पदाधिकारी</u>

नाम :- श्री अजीत कुमार सिंह
पदनाम :- निदेशक विपणन
सम्पर्क नं० :- 9431128211
ई-मेल :- jsambranchi@yahoo.co.in

<u>मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र, नोडल पदाधिकारी</u>

नाम :- श्री कार्तिक कुमार प्रभात
पदनाम :- निदेशक निगरानी
सम्पर्क नं० :- 9430172900
ई-मेल :- kartikprabhat@gmail.com

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद का वेबसाईट :- <u>www.jsamb.nic.in</u>

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काँके, राँची

<u>बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची के दृष्टिकोण</u>

- स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएच.डी. और अन्य पाठ्यक्रमों द्वारा दक्ष तकनीकी मानव संसाधन तैयार करना ।
- कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान, जैवप्रौद्योगिकी, वानिकी और मस्तिस्क के क्षेत्र में मौलिक और क्षेत्र विशेष की जरूरतों पर आधारित अनुसंधान करना ।
- क्षेत्र के कृषि परिदृश्य तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वगोर्ं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक विकसित और प्रसारित करना ।
- राज्य सरकार के पदाधिकारियों, प्रसार कर्मियों, अन्य संगठनों तथा किसानों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना ।
- विश्वविद्यालय के संसाधनों के उपयोग और विकास के लिए राजकीय उपक्रमों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित करना ।

विश्वविद्यालय की इकाइयाँ

- **महाविद्यालय :** विश्वविद्यालय के अन्तर्गत वर्तमान में काँके मुख्य परिसर में चार महाविद्यालय हैं - कृषि महाविद्यालय, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय तथा जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ।
- क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र : क्षेत्र विशेष की समस्याओं, जरूरतों एवं प्राथमिकताओं पर आधारित अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न कृषि-मौसम क्षेत्रों में तीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र कार्यरत हैं -
  - क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, चियांकी (पलामू)
  - क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, दारिसाई (पूर्वी सिंहभूम)
  - क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, दुमका
- कृषि विज्ञान केन्द्र : जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी के आकलन, परिष्करण, प्रत्यक्षण एवं प्रसार के लिए आईसीएआर के सहयोग से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 16 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं । ये केन्द्र जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम), चियांकी (पलामू), महेशपुर (पाकुड़), किस्को (लोहरदगा), पेटरवार (बोकारो), दुमका, बेंगाबाद (गिरिडीह), साहिबगंज,बलियापुर (धनबाद), तपेज (चतरा), गढ़वा, दारिसाई (पूर्वी सिंहभूम), बेना (जामताड़ा), बालूमाथ (लातेहार), बानो (सिमडेगा) और खरसावां (सरायकेला) में अवस्थित हैं ।

शैक्षणिक कार्यक्रम

पाठ्यक्रम का नाम	**सत्र 2016-17 में सीटों की संख्या**
❖ बी.एससी. (कृषि)	50
❖ बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच.	40
❖ बी.एससी. (वानिकी)	26
❖ एम.एससी. (कृषि)	56
❖ एम.वी.एससी.	35
❖ एम.एससी. (वानिकी)	18
❖ एम.एससी. (जैवप्रौद्योगिकी)	12
❖ एम.बी.ए. (कृषि व्यवसाय)	30
❖ डिप्लोमा इन एक्वाकल्चर	10
❖ सर्टिफिकेट कोर्स इन एक्वाकल्चर	10
❖ डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग	10
❖ सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी एण्ड कन्फेक्शनरी	10
❖ सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसिंग टेक्नॉलाजी	10
❖ पीएच.डी. (कृषि)	15
❖ पीएच.डी. (पशुचिकित्सा)	06
❖ पीएच.डी. (वानिकी)	01

अन्तरस्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा के आधार पर भेजे गये चयनित अभ्यर्थी का होता है । इसके लिए उम्मीदवारों के नाम बोर्ड द्वारा ही विश्वविद्यालय को भेजे जाते हैं । स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में नामांकन क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होता है ।

अनुसंधान

- विश्वविद्यालय ने धान, गेहूँ, मूंगफली, अरहर, मक्का, मडुआ, सरगुजा, सरसों, तीसी, सोयाबीन आदि फसलों के 40 से अधिक प्रभेद जारी किये हैं, जो विपरीत मौसम परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं ।

- झारखंड की ग्रामीण परिस्थिति में लाभकारी ढंग से पाली जाने योग्य मुर्गी की प्रजाति "झारसीम" जारी की गयी है । इसी प्रकार सूअर की प्रजाति "झारसूक" जारी की गयी है, जो देशी नस्ल की तुलना में 4-5 गुना ज्यादा लाभ देती है ।
- वर्तमान में विश्वविद्यालय में आईसीएआर की 38 समन्वित अनुसंधान परियोजनाएँ, 07 नेटवर्क परियोजनाएँ, भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित 9 शोध परियोजनाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा वित्त-पोषित 5 परियोजनाएँ तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से 22 एडहॉक एवं अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं । राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से योजना मद में 4 तथा गैर-योजना मद में 23 शोध परियोजनाएँ चलायी जा रही हैं ।

प्रसार शिक्षा

- कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (एटिक) द्वारा किसानों को तकनीकी परामर्श, हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसार साहित्य, हेल्पलाईन सेवा मथा गुणवत्तायुक्त कृषि उपादान उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- किसान कॉल सेन्टर के माध्यम से दूरभाष पर किसानों की खेती-बारी सम्बन्धी दैनन्दिन समस्याओं का समाधान किया जाता है ।
- वर्श 2008 से यहां बिरसा हरियाली रेडियो स्टेशन चल रहा है, जो किसानों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इस रेडियो स्टेशन के 10-12 किलोमीटर रेडियस में कार्यक्रम का प्रसारण सुना जा सकता है ।
- विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण इकाई और जिलों में अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों, कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवाओं तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रसार कर्मियों के लिए कृषि, पशुपालन, वानिकी, प्रसार प्रबन्धन आदि विषयों पर सालों भर विभिन्न अवधि के तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ।

छात्र कल्याण

- विद्यार्थियों के लिए सभी संकायों में पर्याप्त छात्रावास हैं, क्योंकि यहां का शिक्षण कार्यक्रम आवासीय है । यहां के विद्यार्थी समय-समय पर बी०ए०यू० द्वारा आयोजित सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं । अन्तरविश्वविद्यालय क्रीड़ा महोत्सव एवं युवा महोत्सव में भी उनकी सक्रिय भागीदारी होती है । संकाय एवं केन्द्रीय स्तर पर परामर्श एवं प्लेसमेंट कोषांग भी कार्यरत है ।

जन कल्याण कोषांग

विश्वविद्यालय कर्मियों, पेंशनरों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों के लिए कई कोषांग/समितियों का गठन किया गया है, जैसे:-

क्र०सं०	**कोषांग/समितियों का नाम**	**अध्यक्ष/ प्रभारी**
1-	पेंशन अदालत कोषांग	डॉ. महादेव महतो
2.	दिव्यांग कोषांग	डॉ. मणिगोपा चक्रवर्ती
3.	महिला शिकायत निवारण कोषांग	डॉ. रेखा सिन्हा
4.	जन सूचना कोषांग	डॉ. रमेश कुमार (अपीलीय पदाधिकारी) एवं डॉ. शैलेश चट्टोपाध्याय (जन सूचना पदाधिकारी)
5.	CPGRAMS एवं मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र	डॉ. बी. के. अग्रवाल (नोडल पदाधिकारी)

<u>पशुपालन निदेशालय</u>

<u>पशुपालन निदेशालय के दृष्टिकोण</u> **:-**

1. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग ।
2. विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियों से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा स्वदेशी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना ।
3. उन्नत पशु प्रबन्धन विधियों का प्रचार प्रसार करना ।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु बकरी/कुक्कुट/सूकर पालन के द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना ।
5. गो नस्ल, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर **गो सेवा आयोग** के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण रखना ।
6. प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा व माँस आदि का उत्पादन बढ़ाना ।

<u>पशुपालन निदेशालय का लक्ष्य</u>:-

पशुपालन निदेशालय द्वारा किसानों के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है:-

1. पशु चिकित्सा एवं रोगों के रोकथाम हेतु 430 पशुचिकित्सालयों/पशुऔषधालयों के माध्यम से निरंतर सेवा प्रदान करना है । राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में पशु चिकित्सालय एवं जिला स्तर पर प्रान्तीयकृत पशुचिकित्सालय उपलब्ध हैं ।
2. विभिन्न पशु रोगों के नियंत्रण हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है । बड़े पशुओं में गलाघोंटू, बीक्यूॅ, खुरपका-मँहुपका रोग निदान हेतु टीकाकरण एवं छोटे पशुओं यथा बकरियों में पीपीआरॉ, सूकरों में स्वाइन फीवर रोग के प्रति प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाता है, साथ ही पशु मेला तथा हाटों में भी पशुओं का संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीका कराना एवं संगरोध शिविर में रखा जाना ।
3. टीकाकरण के लिये प्रमुख टीकौषिधी (वर्तमान में सूकर ज्वर) का उत्पादन, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, कांके स्थित जैविक औषधि संस्थान द्वारा किया जाता है और अन्य टीकौषिधी को बाहरी स्रोत से भी समय-समय पर क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है ।
4. पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जाँच/पैथोलाजी की सुविधा प्रमंडल स्तर पर 4 (चार) प्रमंडलीय रोग निदान प्रयोगशालाओं तथा राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय प्रयोगशाला पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, कांके द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है । प्रत्येक जिला स्तर पर विशिष्ट पशुचिकित्सा हेतु प्रान्तीयकृत पशुचिकित्सालय, प्रखंड स्तर पर पशु औषधालय एवं चयनित सात जिलों में कुत्तों एवं अन्य पालतू पशुओं की चिकित्सा हेतु पेट ि्क्लीनिक की स्थापना कर मूलभूत पशुचिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराई जा रही है ।
5. रिन्डर पेस्ट घातक बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है परन्तु इस बीमारी का पुन: प्रकोप न होने के उद्देश्य से निरन्तर मॉनीटिरिंग की जा रही है ।
6. पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान (L.R.S.), कांके स्थित PDADMAS के अन्तर्गत डिजीज़ सर्वेलेन्स एवं मॉनीटिरिंग सेल द्वारा प्रदेश में पशुओं की प्रमुख बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से रोग सर्वेलेन्स का कार्य सतत् निष्पादित किया जा रहा है ।
7. रैबीज, स्वाइन फीवर, टी०बी०, ब्रुसोलोसिस, तथा मुर्गियों की प्रमुख बीमारियों के निदान एवं नियंत्रण हेतु विशेष ईकाइयाँ कार्यरत है ।

8. वर्तमान समय में बाँझपन पशुओं की प्रजनन क्षमता में ह्रास की जटिल समस्या हो रही है जिसके निवारण हेतु विशेष बाँझपन निवारण शिविर लगाकर पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । स्टलिटी, इन्फर्टिलिटी एवं एर्बाशन कन्ट्रोल हेतु विशेष ईकाइयाँ कार्यरत है ।

9. पशुधन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमुख रूप से गायों एवं भैसों में प्रजनन कार्य अतिहिमिकृत वीर्य तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा किया जा रहा है । प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु झारखण्ड स्टेट इम्पलीमेंटिंग एजेंसी (J.S.I.A.), होटवार का गठन किया गया है । जिसके माध्यम से गाय, भैस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिये विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

10. प्रजनन आच्छादन को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता एवं मैत्री के प्रशिक्षण के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कार्य की पहुंच जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

11. प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 लागू है। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु विभागीय अधिसूचना के माध्यम से **राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड** का गठन एवं जिलों में पशु क्रूरता निवारण हेतु जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति का गठन किया गया है ।

12. पंजीकृत गोशालाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वदेशी गोवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिये गोशालाओं को प्रोत्साहन दिया गया है तथा गोशाला निधि की स्थापना की गयी है। प्रदेश में **गो सेवा आयोग** भी कार्यशील है ।

13. पशु प्रक्षेत्रों के माध्यम से मुर्रा भैंसा सांढ, रेड सिंधी/हरियाणा गाय सांढ़, बकरियों एवं भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु संकर नस्ल की भेंड़ एवं बीटल नस्ल की बकरा, उन्नत नस्ल के सूकर हेतु 6 (छः) प्रक्षेत्र एवं कुक्कुटों के लिए दो अलग-अलग प्रक्षेत्र संचालित है ।

14. कुक्कुट एवं बत्तख विकास कार्यक्रम को गतिशील करने हेतु विभाग के कुक्कुट एवं बत्तख प्रक्षेत्रों की स्थापना की गयी है । बैकयार्ड कुक्कुट पालन अन्तर्गत चूजों का वितरण किया जाता है ।

15. कुक्कुट विकास को बढ़ावा देने हेतु कुक्कुट व्यवसाय को विभागीय संकल्प के माध्यम से कृषि का दर्जा भी प्रदान किया गया है ।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किये जाने वाले शुल्कों का विवरण निम्नवत है:-

क्रॉ० सं०	**सेवा का विवरण**	**सेवा शुल्क (रूपये)**
1	कृत्रिम गर्भाधान शुल्क	20.00

2	चिकित्सा शुल्क	
क	बडे पशु	2.00
ख	भेड/बकरी/सूकर	1.00
ग	कुत्ता/बिल्ली	1.00
3	बधियाकरण शुल्क	
क	बडे पशु	5.00
ख	छोटे पशु	5.00
4	टीकाकरण शुल्क	
क	बडे पशु	2.00
ख	छोटे पशु	1.00

पशुचिकित्सालयों/पशु औषधालयों पर देय सुविधाओं की सूची :

- टीकाकरण
- चिकित्सा
- कृत्रिम गर्भाधान एवं गर्भ परीक्षण
- बधियाकरण
- उन्नत पशुपालन विधियो को अपनाने हेतु सलाह
- पशु स्वास्थ्य परीक्षण
- प्राथमिक रोग निदान जांच
- शव विच्छेदन

<u>सेवा समय सारणी : प्रात: **9** से आप्रहन **3** बजे तक।</u>

क्रॉ	**सेवा का प्रकार**	**सेवा अवधि**
1	चिकित्सा	तत्काल पशुचिकित्सालय पर
2	टीकाकरण	टीकौषिधी की उपलब्धता के आधार पर
	गलाघोंटू	पशुचिकित्सालय पर तत्काल, गांव में अनुरोध के अगले दिन (मानसून के पूर्व,दौरान एवं बाद में)
	खुरपका मुंहपका रोग	पशुचिकित्सालय पर तत्काल, गांव में अनुरोध के अगले दिन
	स्वाइन फीवर	पशुचिकित्सालय पर तत्काल,गांव में अनुरोध के अगले दिन
	पी०पी०आर०	पशुचिकित्सालय पर तत्काल,गांव में अनुरोध के अगले दिन
	कुक्कुट टीका	पशुचिकित्सालय पर तत्काल,गांव में अनुरोध के अगले दिन

3	कृत्रिम गर्भाधान	पशुचिकित्सालय पर पशु लाये जाने के 1 घंटे के अन्दर,पशु स्वामी के द्वार पर अनुरोध के उपरान्त कृत्रिम गर्भाधान के उपर्युक्त समय पर (सुबह गर्मी में आये पशु को शाम को एवं शाम को गर्मी में आये पशु को सुबह)
4	शव विच्छेदन	शव की उपलब्धता के बाद तत्काल
5	आउटब्रेक नियन्त्रण	सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंच कर।

शिकायत निवारण कोषांग

राज्य स्तर पर निदेशक, उपनिदेशक योजना, उपनिदेशक सूकर विकास, भेंड़ पालन पदाधिकारी, निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, कांके तथा जिला स्तर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क कर समस्याओं का निराकरण विभिन्न स्तर पर कराया जा सकता है ।

जिला स्तर पर - सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी ।

<u>गव्य विकास निदेशालय</u>

<u>गव्य विकास निदेशालय के दृष्टिकोण :-</u>

गव्य विकास का मुख्य उद्देश्य राज्य के दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार, दुधारू पशुओं के प्रजनन क्षमता एवं दूध उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक दूध उत्पादन तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार, दुधारू पशुओं/बछिया के लिए पशु चारे दाने की समुचित व्यवस्था, आधारभूत संरचनाओं का विकास कर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की समुचित बिक्री व्यवस्था, डेयरी प्लांट की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था के साथ ही शहरी उपभोक्ताओं के लिए दूध एवं दूध-जन्य पदार्थों की नियमित बिक्री व्यवस्था आदि के लिए योजनाओं को तैयार कर इनका क्रियान्वयन तथा इन पर तकनीकी एवं प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था रखना है । इन योजनाओं का सूत्रण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा तकनीकी व प्रशासनिक नियंत्रण गव्य विकास प्रक्षेत्र अन्तर्गत गव्य तकनीकी संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है ।

<u>गव्य विकास निदेशालय का लक्ष्य:-</u>

गव्य विकास निदेशालय द्वारा किसानों के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है:-

1. दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० महिलाओं को दूध उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन तथा उनके आर्थिक उन्नयन के लिए दुधारू गाय का वितरण किया जा रहा है ।

बी०पी०एल० महिलाओं को गाय वितरण की योजना से लाभान्वित किए जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया

a. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र में कार्यरत/चिन्हित दूध पथों पर अवस्थित गाँवों का चयन जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा । गाँव चयन के क्रम में दूध संग्रहण पथों पर अवस्थित मुख्यमंत्री जनजातीय ग्रामों को प्राथमिकता दी जाती है ।

b. चयनित ग्राम के शत प्रतिशत सुयोग्य बी०पी०एल० महिला लाभुक, जिन्हें पूर्व में विभाग अथवा किसी सरकारी योजना से दुधारू पशु उपलब्ध नहीं कराया गया हो, की सूची जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाती है ।

c. लाभुकों की सूची पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत की अनुशंसा तथा लाभुक परिवारों के बी०पी०एल० संख्या का सत्यापन संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से कराया जायेगा ।

d. अनुशंसित सूची के लाभुकों को संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा नि:शुल्क आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जाता है ।

e. लाभुक द्वारा आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचना भरकर हस्ताक्षर उपरान्त संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराकर उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की जाती है ।

f. प्रथम चरण में निर्धारित अनुदान राशि लाभुक के बैंक खाता में भुगतान इस शर्त के साथ किया जायेगा कि राशि की निकासी दुधारू पशु क्रय उपरान्त सक्षम प्राधिकार/जिला गव्य विकास पदाधिकारी के सत्यापन के पश्चात की जाती है एवं पशु क्रय के पूर्व शेड की राशि का भुगतान किया जाता है ।

g. लाभुक अंशदान की राशि, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा चयनित/अनुशंसित लाभुकों से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त कर उनके बैंक खाता में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

h. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा लाभुक अंशदान राशि जो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है, की कटौती उनके द्वारा मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति किए गए दूध के मूल्य से 24 (चौबीस) समान मासिक किस्तों में की जाती है ।

i. लाभुकों द्वारा उन्नत/संकर नस्ल का दुधारू पशु क्रय के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा कलस्टर/प्रखण्ड/जिला स्तर पर दुधारू पशु मेला का आयोजन किया जाता है । मेला आयोजन की पूर्व सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनों को उपलब्ध कराया जाता है। कलस्टर/प्रखण्ड/जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले दुधारू पशु मेला में सूचीबद्ध दुधारू पशु विक्रेताओं/व्यापारियों द्वारा उन्नत/संकर नस्ल के स्वस्थ दुधारू पशु बिक्री के लिए लाया जाता है ।

j. योजना अन्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय की बिक्री/हस्तांतरण लाभुक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाता है । लाभुक द्वारा गाय क्रय के पूर्व हस्ताक्षरित किये जाने वाले स्व-घोषणा पत्र में लाभुक के द्वारा इस आशय का घोषणा किया जाता है कि उत्पादित दूध का अपने घरेलू उपयोग के पश्चात् अतिरिक्त दूध झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को नियमित रूप से आपूर्ति किया जाएगा ।

2. पशु स्वास्थ्य एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम

बायफ प्रबंधन में संचालित 1010 डेयरी पशु विकास केन्द्रों द्वारा दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की घरपहुँच **सेवा पशुपालकों को राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध कराई जा रही है ।**

3. हीफर रियरिंग एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम

संकर/उन्नत नस्ल की बाछिया का समुचित पालन-पोषण हेतु अनुदानित दर पर काफस्टार्टर तथा संतुलित **पशु आहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ बछिया का बीमा किया जाता है ।**

4. नेशनल लाईवस्टॉक मिशन अन्तर्गत पशु आहार एवं चारा विकास की योजना तथा कौशल विकास, टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर एवं विस्तार अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम

a) अनुदानित दर पर हस्तचालित एवं पावरचालित चारा काटने की मशीन का वितरण ।

b) रबी एवं खरीफ मौसम के लिए हरा चारा बीज का नि:शुल्क वितरण ।

c) अजोला (Azolla) उत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास की योजना ।

d) साईलेज बनाने की योजना ।

e) फार्मर फिल्ड स्कूल कार्यक्रम ।

5. अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार वितरण की योजना

दुधारू पशुओं के पोषण एवं दूध उत्पादकता में वृद्धि हेतु पशुपालकों के बीच अनुदानित दर पर उच्च गुणवत्ता का संतुलित पशु आहार का वितरण किया जाता है ।

6. प्रशिक्षण, प्रसार एवं कौशल विकास

पशुपालकों को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के रख-रखाव, पशु पोषण, हरा चारा उत्पादन, पशु नस्ल सुधार, ग्रामीण स्तर पर दूध उत्पादों का निर्माण आदि के संबंध में इनका कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण एवं परिभ्रमण की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है ।

डेयरी पशु विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य में गोकुल मित्र प्रशिक्षण एवं पराभेट प्रशिक्षण के साथ-साथ इग्नू (IGNOU) के माध्यम से एक वर्षीय डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है ।

7. टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम

दुधारु पशुओं के रख-रखाव तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए विटामिन एवं मिनरल फीड सप्लीमेंट, अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार आदि का वितरण किया जाता है ।

8. गोकुल ग्राम विकास योजना

4-5 ग्रामों के कलस्टर में ग्राम स्तर पर दुधारु पशुओं के नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, पशु चारा एवं संतुलित आहार आदि की समुचित बिक्री तथा अन्य इनपुट वितरण की व्यवस्था तथा बल्क मिल्क कूलर के संचालन के लिये गोकुल ग्राम केन्द्र का निर्माण किया जाता है ।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत **5/20/50** दुधारू मवेशी वितरण की योजना**:- ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन के दृष्टिकोण से प्रगतिशील कृषकों को अनुदान एवं बैंक ऋण के आधार पर** 5, 20 **एवं** 50 **दुधारू गाय की योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाता है ।**

10. निजी ऊपरी भूमि में चारा विकास योजना अन्तर्गत बहुवर्षीय हरा चारा उत्पादन के लिए प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है ।

11. उन्नत नस्ल की बछिया के पालन हेतु हीफर रियरींग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रगतिशील पशुपालकों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

12. प्रगतिशील डेयरी कृषकों को उनके दुध उत्पादन के विस्तार हेतु अनुदान उपलब्ध कराई जाती है ।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

दुधारू मवेशी वितरण की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान/गोपालक जिला गव्य विकास पदाधिकारी से नि:शुल्क बैंक ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर मुखिया/प्रखण्ड/अंचल कार्यालय से सत्यापित कराकर संबंधित बैंकों को जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा के साथ ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन अग्रसारित किया जाता है । बैंकों द्वारा ऋण की स्वीकृति उपरांत संबंधित

लाभुकों के खाते में राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् जिला स्तर पर गठित क्रय-समिति के मार्गदर्शन में लाभुकों द्वारा दुधारू मवेशी का क्रय किया जाता है ।

दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन

राज्य में दूग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन संबंधी समस्त गतिविधियों का संचालन एनॉडीॉडीॉबीॉ के प्रबंधन में झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से की जा रहीं है।

झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से संचालित पशुपालकोन्मुखी कार्यक्रम :-

a) ग्रामीण क्षेत्रों में दुध की उपलब्धता के आधार पर मिल्क पुलिंग प्वांइट की स्थापना कर सुबह एवं शाम पाली में दुध संग्रहण का कार्य किया जा रहा है।

b) 5 - 6 मिल्क पुलिंग प्वांइट को एक बल्क मिल्क कूलर केन्द्र से संबद्ध कर संग्रहित दुध को प्रशीतन हेतु बल्क मिल्क कूलर केन्द्र पर पहुंचाया जाता है । पुन: प्रशीतन उपरांत ठंडे दूध को अग्रेतर विधायन हेतु डेयरी प्लांट में रोड मिल्क टैंकर के माध्यम से परिवहन किया जाता है ।

c) वैसे दूध उत्पादक जिनके पास दूध उपलब्ध है तथा बैंक खाता है, वे झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा संचालित दूध संग्रहण केन्द्र पर नियमित रूप से दूध की आपूर्ति कर सकते हैं ।

d) जिन गाँवों में 400 लीटर से अधिक दूध संग्रहण किया जाता है वैसे गाँवों में बल्क मिल्क कूलर केन्द्र की स्थापना की जाती है । गाँव में सड़क बिजली एवं पानी की उपलब्धता आवश्यक होती है ।

e) बल्क मिल्क कूलर केन्दों की स्थापना गोकुल ग्राम विकास भवन (विशेष परिस्थिति में नीजी भवन) में की जाती है ।

f) दूग्ध आपूर्ति कारक सदस्यों को उनके द्वारा आपूरित किए जा रहे दूध का मूल्य भुगतान गुणवत्ता आधारित होता है । दूध मूल्य का निर्धारण वर्तमान दर तालिका के आधार पर किया जाता है ।

वसा रहित ठोस (SNF)	8.5% एवं अधिक	8.34%	8.3%	8.2%	8.1%	8.0%	7.9%	7.8%	7.7% एवं उससे कम
प्रति किलो ग्राम फैट की दर (रु०)	245	245	245	245	245	245	235	235	235
प्रति किलो ग्राम (रु०)	196	192	190	188	186	184	182	180	.

g) गाय/ भैंस के दूध का औसत दर प्रति लीटर

दूध का प्रकार	फैट/एस०एन०एफ प्रतिशत	औसत प्रति लीटर दर
गाय का दूध	4.5/8.5	27.69
भैंस का दूध	6.0/9.0	32.34

h) दूध मूल्य का भुगतान प्रत्येक माह की 4वीं, 14वीं, एवं 24वीं तिथि को दूध आपूर्तिकर्त्ता के निजी बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है ।

i) दूध आपूर्तिकर्त्ता सदस्य को 4.00 रू० प्रति किलोग्राम की दर से अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराया जाता है । वर्तमान में 17.50 रू० (अनुदान सहित) प्रति किलोग्राम की दर सं संतुलित पशुआहार पशुपालकों को उनके घर पर उपलब्ध कराया जाता है ।

j) दुधारू पशुओं के लिए सालों भर हरा चारा उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रबी एवं खरीफ मौसम में क्रमश: जई, बरसीम, लसूर्न मकई, वाजरा, ज्वार सूडान काउपी आदि चारा बीज का वितरण किया जाता है ।

k) दुग्ध उत्पादकों को दुधारू पशुओं के रख-रखाव, प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य तकनीकी विषयक मुफ्त सलाह आदि की सुविधा गोपालक सहायता केन्द्र अन्तर्गत स्थापित, टॉल फ्री नं० - 7544003434 पर उपलब्ध कराई जाती है ।

l) दुधारू पशुओं के लिए आकस्मिक चिकित्सीय सहायता की सुविधा 200/रू० के मामूली शुल्क पर पशुपालकों के घर पर उपलब्ध कराई जाती है ।

m) दुधारू पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक एवं दूधवर्द्धक औषधियाँ एवं फीड सपलीमेंट नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

n) नेशनल डेयरी प्लान, फेज-1 के अन्तर्गत संचालित राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय संसाधन कर्मीयों (एल०आर०पी०) के माध्यम से पशुपालकों को दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार देकर प्रति लीटर दूध उत्पादन लागत को कम करने संबंधी नि:शुल्क तकनीकी सलाह गाँव में जाकर दी जा रही है ।

o) झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा मदर डेयरी मेघा ब्राण्ड के नाम से दूध एवं दूध उत्पादों की उपलब्ध निम्नरूपेण निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा रहीं है :-

क्रॉ	उत्पाद	इकाई	अधिकतम बिक्री मूल्य (रु०)
1	स्टैंडर्ड दुध	1 लीटर	38.00
2	टोन्ड दूध	1 लीटर	34.00
3	शक्ति स्पेशल दूध	1 लीटर	38.00
4	गाय का दूध (काउ मिल्क)	0.50 लीटर	18.00
5	दही	100 ग्राम कप	10.00
6	दही	200 ग्राम कप	20.00
7	दही	400 ग्राम कप	40.00
8	मिस्टी दही	100 ग्राम कप	10.00
9	मिस्टी दही	200 ग्राम कप	10.00
10	दही	400 ग्राम पौच	30.00
11	लस्सी	100 ग्राम पौच	10.00
12	घी	500 एमएल	205.00

दुधारू पशु नस्ल सुधार एवं उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम :-

- राज्य के सभी जिलों में बायफ (BAIF) के प्रबंधन में कुल 1010 डेयरी पशु विकास केन्द्रों तथा जे०के० ट्रस्ट के प्रबंधन में संचालित 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से नस्ल सुधार कार्य तथा दूध उत्पादकता वृद्धि कार्यक्रम का संचालन किया जाता है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी पशु विकास केन्द्र द्वारा 10 - 12 कि०मी० की परिधी में 10 - 15 गाँवों के 1200 - 1500 ब्रीडेबल पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य पशु विषयक सेवाओं से आच्छादित करते है ।
- गाँवों कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से पशुओं के नस्ल सुधार हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है ।
- प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्त्ता को डेयरी पशु विकास केन्द्र के संचालन की जवाबदेही सौंपी जाती है जिनके द्वारा पशुपालकों को उनके दुधारू पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान की घर पहुंच कर सेवा उपलब्ध कराई जाती है ।
- कृत्रिम गर्भाधान के उपरान्त 60 - 90 दिनों के बाद गर्भ परीक्षण का कार्य नि:शुल्क किया जाता है, तथा 270 - 280 दिनों के अन्दर प्रसव की संपुष्टि की जाती है ।

पशु प्रजनन एवं पशु चिकित्सा सेवायें -

क्रॉ	सेवा का विवरण	सेवा शुल्क (रूपये)
1	**कृत्रिम गर्भाधान शुल्क (बायफ के द्वारा) (गाय/भैंस) पशु स्वामी के द्वार पर**	150.00 (वर्तमान में जे०के० ट्रस्ट द्वारा 20/- रू० प्रति गर्भाधान के दर पर)
2	आकस्मिक चिकित्सीय सहायता (झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा)	200.00
अनुदान		
क्रॉ	**विवरण**	**अनुदान की राशि**
1	संतुलित पशु आहार	4.0 रू० प्रति किलोग्राम
2	काफ स्टार्टर	50 प्रतिशत (14रू० कि०ग्रा०)
3	हीफर पशु आहार	5.0 रू० प्रति कि०ग्रा०
4	हरा चारा बीज का वितरण	नि:शुल्क
5	मिलरल मिक्सचर	नि:शुल्क
6	कैल्सीयम फीड सप्लीमेंट	नि:शुल्क
7	डिवर्मर तथा अन्य प्रीवेंटीव औषधि	नि:शुल्क

पशुपालको को सुविधाएं -

1. डेयरी पशु विकास केन्द्रों पर सुविधायें :
- कृत्रिम गर्भाधान एवं गर्भ परीक्षण
- चारा बीज (मांग पर)
- उन्नत पशुपालन विधियो को अपनाने हेतु सलाह
- पशु प्रजनन स्वास्थ्य परीक्षण

2. पशुपालक के द्वार पर सुविधाएं :
- पशुपालको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान
- आपात चिकित्सा

3. गोकुल ग्राम विकास केन्द्रो/बल्क मिल्क कूलर केन्द्रो /दुग्ध संग्रहण केन्द्रों पर सुविधाएं :
- उचित मुल्य पर दुध का क्रय
- दूध मुल्य की परची
- संतुलित पशु आहार
- कृत्रिम गर्भाधान एवं गर्भ परीक्षण
- चारा बीज (मांग पर)
- उन्नत पशुपालन विधियों को अपनाने हेतु सलाह

सेवा समय सारणी :

1	कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा	पशु स्वामी के द्वार पर अनुरोध के उपरान्त कृत्रिम गर्भाधान के उपर्युक्त समय पर (सुबह गर्मी में आये पशु को शाम को एवं शाम को गर्मी में आये पशु को सुबह)
2	आकस्मिक चिकित्सीय सहायता (जे०एम०एफ० के द्वारा)	24 घण्टे
3	उन्नत पशुपालन विधियो को अपनाने हेतु सलाह	24 घण्टे

- कृत्रिम गर्भाधान लेवी शुल्क दर प्रत्येक डेयरी पशु विकास केन्द्र पर प्रदर्शित ।
- विभागीय योजनाओं की सूची सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय एवं डेयरी पशु विकास केन्द्रों पर प्रदर्शित ।

राज्यस्तर पर विभागाध्यक्ष/निदेशक, से, तथा जिला स्तर पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी से सम्पर्क कर समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता है ।

मुख्यमंत्री जनसंवाद कोषांग

क्रॉ	**पदाधिकारी/सहायक का नाम**	**मोबाईल सं०**
1	श्री वेद प्रकाश झा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी (मुख्यमंत्री जनसंवाद)	9430777459
2	सुश्री रोहिणी कुजूर सहायक	9693660336

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नामित पदाधिकारी

(क) निदेशालय स्तर

क्रॉ	**पदाधिकारी का नाम**	**नामित पद**	**मोबाईल सं०**
1	श्री शैलेन्द्र कुमार, निदेशक (गव्य)	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	9939567407
2	श्री चन्द्र कुमार सिंह सहायक निदेशक (गव्य)	जन सूचना पदाधिकारी	9431470031

(ख) जिला स्तर

संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी अपने जिले के लिए जन सूचना पदाधिकारी नामित है ।

<u>मत्स्य निदेशालय</u>

<u>मत्स्य निदेशालय के दृष्टिकोण एवं लक्ष्य:-</u>

1- झारखण्ड राज्य के सभी प्रकार के जलक्षेत्रों जैसे तालाब, जलाशय, चेकडैम तथा नदियों के जल का भरपूर दोहन कर राज्य को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना ।

2- ग्रामीण जनता के सहयोग से मत्स्य पालकों को समय पर वांछित संख्या में मछली के बीज उपलब्ध कराना ।

3- मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित कर तथा उनका कौशल विकास करके पारम्परिक विधि से वैज्ञानिक तरीके से फीड आधारित मछली पालन की ओर परिवर्तित करना ।

4- त्वरित परिवहन तथा शीतयुक्त अथवा वातानुकूलित वाहनों को उपलब्ध कराकर स्वस्थ्य तरीके से मछलियों की बिक्री सुनिश्चित कराना ।

5- ई-माकेटिंग के माध्यम से मछली उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में प्रयास करना ।

6- मछुआरों तथा अन्य मत्स्य पालकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास करना।

<u>सेवाएँ</u>

क्रॉ	सेवाएँ	समय सीमा	
		प्राथमिक	राज्यस्तरीय
1	मत्स्य जीवी सहयोग समितियों के साथ जलकरों की बन्दोबस्ती	60 दिन	लागू नहीं
2	खुला डाक के द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती	उसी दिन	लागू नहीं
3	प्रशिक्षण	लागू नहीं	5 - दिवसीय
4	तलाब के मिट्टी पानी की जॉच	लागू नहीं	90 दिन
5	दूर्घटना बीमा के दावा का भुगतान	45 दिन	90 दिन
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य बीज दाना तथा जाल की आपूर्ति	90 दिन	लागू नहीं

मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र के लिए नोडल पदाधिकारी (सी०पी०ग्राम)

नाम - **ह्रीं नाथ द्विवेदी**

पदनाम - **उप मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण)**

पता - **मीन भवन, डोरण्डा, राँची-834002**

दूरभाष - 0651-2480747

ईमेल पता- **hringnath@yahoo.com**

जन सूचना पदाधिकारी

नाम - लिपिका बनर्जी

पदनाम - सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी)

पता - मीन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

दूरभाष - 0651-2480747

ईमेल पता- lipikabanerje12@gmail.com

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी

नाम - आशीष कुमार

पदनाम - उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)

पता - मीन भवन, डोरण्डा, राँची-834002

दूरभाष - 0651-2480747

ईमेल पता- ddfranchi@gmail.com

<u>निबंधक, सहयोग समितियाँ</u>

निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के दृष्टिकोण एवं लक्ष्य

- कृषकों को कृषि और इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों के वित्त-पोषण हेतु ससमय एवं यथोचित बैंक ऋण उपलब्ध करवाने का प्रयास करना ।
- कृषकों को इनपुट सेवाए - खाद (उर्वरक), बीज तथा कीटनाशक की आपूर्ति ।
- फसल-बीमा योजना के क्रियान्वयन द्वारा फसल की बर्बादी की स्थिति में कृषकों को राहत प्रदान करना ।
- कृषक समुदाय के आर्थिक हितों के रक्षार्थ कृषि उत्पाद, विपणन के समेकित विकास हेतु कृषकों को विपणन से संबंधित सहयोग करना ।
- वनोत्पादक एवं संग्रहक के आर्थिक हितों के रक्षार्थ वनोत्पादों का भंडारण, विपणन से संबंधित कार्य में सहयोग करना ।
- राज्य में सहकारिता आंदोलन के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों एवं पदधारियों को सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- लैम्पस/पैक्स के माध्यम से छोटी-छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिये जमा-वृद्धि योजना को सुचारू रूप से संचालित करना ।
- सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न प्रकार के फसल के उत्पाद एवं वनोत्पाद की अधिप्राप्ति का कार्य करना ।

सेवाएँ

क्र.	सेवाएँ	समय सीमा			
		प्राथमिक	अनुमण्डल/ जिला स्तरीय	प्रमण्डल स्तरीय	राज्य स्तरीय
1	समितियों का निबंधन	60 कार्य दिवस	60 कार्य दिवस	75 कार्य दिवस	90 कार्य दिवस
2	उप विधियों में संशोधन	60 कार्य दिवस	60 कार्य दिवस	75 कार्य दिवस	90 कार्य दिवस
3	1935 की अधिनियम से 1996 की अधिनियम में सम्परिवर्तन	60 कार्य दिवस	75 कार्य दिवस	90 कार्य दिवस	120 कार्य दिवस
4	समिति का निर्वाचन	60 कार्य दिवस	60 कार्य दिवस	75 कार्य दिवस	90 कार्य दिवस
5	समिति का अंकेक्षण	आलोच्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के अन्दर			
6	समितियों का एकीकरण/विभाजन	180 कार्य दिवसों के अन्दर			
7	किसान क्रेडिट कार्ड	30 कार्य दिवसों के अन्दर			
8	गैर कृषि ऋण	30 कार्य दिवसों के अन्दर			
9	फसल-बीमा के अनुमान्य स्वीकृत दावे का राशि प्राप्ति के उपरांत भुगतान	30 कार्य दिवसों के अन्दर			

संरचना

निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राज्य का सहकारिता प्रक्षेत्र है ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से 05 (पाँच) प्रमण्डल के स्थान पर सहकारिता के अन्तर्गत 03 (तीन) ही प्रमण्डल अधिसूचित हैं :-

1) दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची
2) उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग
3) संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका

पलामू एवं कोल्हान प्रमण्डल के जिले दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के अन्तर्गत समाहित है । संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ स्तर का पदाधिकारी प्रत्येक प्रमण्डल के उच्चाधिकारी के रूप में पदस्थापित होते हैं ।

सहकारिता के अन्तर्गत 22 (बाईस) जिले हैं, खूँटी एवं रामगढ़ जिला सहकारिता के अन्तर्गत अधिसूचित जिला नहीं है । खूँटी एवं रामगढ़ जिला क्रमश: राँची एवं हजारीबाग जिला के अन्तर्गत आता है । प्रत्येक जिले में सहकारिता सेवा के मूल स्तर के पदाधिकारी के जिला सहकारिता पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित होने का प्रावधान है । प्रत्येक जिले में एक-एक जिला अंकेक्षण पदाधिकारी भी होते हैं ।

सहकारिता के अन्तर्गत कुल-24 (चौबीस) अंचल हैं, जिनमें सहकारिता सेवा के मूल स्तर के पदाधिकारी सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ के पद पर पदस्थापित होते हैं । रामगढ़ अंचल हजारीबाग अंचल के अन्तर्गत अधिसूचित है ।

क्षेत्रों में, प्रखण्ड में पंचायत की संख्या के आधार पर प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं ।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कृषकों एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के उत्थान के लिये सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता एक आन्दोलन के रूप में कार्य करती है ।

सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में लोकतांत्रिक पद्धति पर सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मूल उद्देश्य पर कार्य करती है । मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रक्रम एवं स्तर पर सहकारी समितियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सुचारू रूप से सम्पादन के साथ-साथ उनके प्रशासन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है । 'नीति निर्देशक तत्व' की सूची में से किसी भी विषय पर सहकारी संस्था का गठन किया जा सकता है । आज राज्य भर में विभिन्न प्रकार की समितियॉ-फल एवं सब्जी, वनोत्पाद, लाह, मत्स्य, बुनकर, साख एवं बचत, गृह निर्माण, औद्योगिक, श्रमिक, ग्रामीण विकास, महिला विकास, दुग्ध उत्पादक आदि समितियों के माध्यम से सदस्यों के हितों की रक्षा, संवर्द्धन एवं स्वावलम्बन हेतु कार्यरत है ।

सूचना का अधिकार

जन शिकायत कोषांग के नोडल पदाधिकारी **(CPGRAMS)**

नाम - जयदेव प्रसाद सिंह,
पदनाम - उप निबंधक, सहयोग समितियॉ,
पता - अभियंत्रण छात्रावास, संख्या-2, धुर्वा, राँची - 834004
दूरभाष संख्या - 0651-2400490
E-mail - jharkhand.coopregistrar@gmail.com

जन सूचना पदाधिकारी

नाम - प्रमोद कुमार
पदनाम - अवर सचिव,
पता - अभियंत्रण छात्रावास, संख्या-2, धुर्वा, राँची - 834004

दूरभाष संख्या - 0651-2400490
E-mail - jharkhand.coopregistrar@gmail.com

प्रथम अपीलीय पदाधिकारी

नाम - श्रीमती स्मिता टोप्पो,
पदनाम - संयुक्त निबंधक (मुॅ), सहयोग समितियाँ,
पता - अभियंत्रण छात्रावास, संख्या-2, धुर्वा, राँची - 834004
दूरभाष संख्या - 0651- 2400490
E-mail - jharkhand.coopregistrar@gmail.com

<u>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के महत्वपूर्ण संपर्क संख्या</u>

क्रॉ	पदनाम	नाम	मोबाईल नं०, ई-मेल
1.	सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	डॉ० नितिन मदन कुलकर्णी, भा०प्र०से०	9431121011 jhagriculture@gmail.com
2.	विशेष सचिव (पशुपालन प्रभाग), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	श्रीमती पूजा सिंघल भा०प्र०से०	9431114011
3.	विशेष सचिव (कृषि प्रभाग), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	श्रीमती शुभ्रा वर्मा भा०प्र०से०	9431077391 usec003@gmail.com
4.	विशेष सचिव (सहकारिता प्रभाग), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	श्री मुकेश कुमार वर्मा भा०प्र०से०	9471329844
5.	निबंधक, सहयोग समितियाँ	श्रीमती मीना ठाकुर भा०प्र०से०	9431151082
6.	अपर सचिव (सहकारिता प्रभाग), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	श्री विमल भा०प्र०से०	9471145456
7.	निदेशक, कृषि	श्री जटाशंकर चौधरी, भा०प्र०से०	9431115706 directoragriculture@gmail.com
8.	प्रबंधक, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद	श्रीमती पूजा सिंघल, भा०प्र०से०	9431315099
9.	निदेशक, उद्यान	श्री राजीव कुमार भा०प्र०से०	9431106932 ddhranchi@ rediffmail.com

10.	निदेशक, मत्स्य	श्री राजीव कुमार भा०प्र०से०	9431106932
11.	संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्रीमती सुमन कैथरीन किस्फोटा	9973863438 jhagriculture@gmail.com
12.	संयुक्त सचिव सह संयुक्त निदेशक (योजना) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्री अंजनी कुमार	9431140180
13.	संयुक्त सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्री दिगेश्वर तिवारी	9534534113
14.	निदेशक, प्रशासन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्री राजदीप संजय लाल जॉन	9835181998
15.	उप सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्री बसन्तू	9430360174
16.	उप सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्री राजेश कुमार बरवार	9162192990
17.	उप सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्री निरंजन कुमार	
18.	निदेशक, समेति	श्री अजय कुमार सिंह	9431188586 sametijharkhand@rediffmail.com
19.	संयुक्त गन्ना आयुक्त कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	श्रीमती ज्योति मिंज	9431170838
20.	प्राचार्य, प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, हेहल, राँची।	श्री एस०बी० अग्रवाल	9430329944
21.	उप निदेशक कृषि (योजना), कृषि निदेशालय	श्री डी०के०पाण्डेय	9430315150
22.	उप निदेशक कृषि (सामान्य), कृषि निदेशालय	श्री मुकेश कुमार सिन्हा	7033403577

23.	उप निदेशक कृषि (प्रशासन), कृषि निदेशालय	श्री ओम प्रकाश यादव	9955206315
24.	उप निदेशक कृषि (अभियंत्रण), कृषि निदेशालय	श्री ए०पी० सिंह	9431360297
25.	उप निदेशक (उद्यान), उद्यान निदेशालय	श्री विजय कुमार	8084711397
26.	सहायक निदेशक (गुण नियंत्रण), रांची	श्री अनिरूद्ध प्रसाद	9431957375
27.	सहायक निदेशक कृषि (योजना)	डॉ० रमेश चंद्र सिन्हा	8002515584
28.	सहायक बीज प्रमाणन पदाधिकारी, राँची	श्री असीम रंजन एक्का	9431766424
29.	Assistant Soil Chemist-in-charge Soil Health Card Schemes (SHC)	श्री सत्य प्रकाश	9334051118
30.	**अवर सचिव (लेखा), कृषि निदेशालय**	श्री मनिभूषण श्रीवास्तव	9431052545
31.	**अवर सचिव (स्थापना), कृषि निदेशालय**	श्री कपिलदेव पंडित	9431174179

कृषि निदेशालय

S.No.	District	Name of JDA&DAO	Tel.No.	Mobile No./ Email ID
1	J.D.A, Ranchi	Sri. Rajeev Kumar	0651-2231382	9431185651 jdaoffice@gmail.com
2	D.A.O.Ranchi	Sri Vikash Kumar	0651-2231382	9431209010 daoranchi1@gmail.com
3	Jamshedpur	Sri Kalipad Mahto	0657-2701935	7677637579 atmajsr321@gmail.com
4	Chaibasa	Sri Shiv Kumar Ram	06582-259003	9939156590 daochaibasa@rediffmail.com atmachaibasa@yahoo.com
5	Saraikela	Sri Ramchandra	06597-234284	9430750443 atmaseraikella@yahoo.co.in
6	Gumla	Sir Arun Kumar	06524-223192	9771802670 atmagumla@rediffmail.com
7	Simdega	Sri Animanand Toppo	06525-225278	9431526034 atma_simdega@yahoo.in simdegagriculture@gmail.com
8	Lohardaga	Sri Anil Kumar Singh	06526-224627	9431579789 atma.lohardaga@rediffmail.com
9	Palamu	Sri Admand Minz	06562-223886	9931140545 atmapalamau@rediffmail.com
10	Latehar	Sri Marshal Khalkho	06565-248074	9431181027, 9431139417 atmalatehar@gmail.com
11	Garhwa	Sri Ravish Chandra	06561-223076	9905102791 atmagarhwa2007@gmail.com

12	Khunti	Sri Naresh Choudhary	-	7543018789, 9431788636 atmakhunti@yhoo.in
13	JDA,Hazaribag	Sri Subhash Singh	06561-223076	9431123397 atmagarhwa2007@gmail.com
14	D.A.O. Hazaribag	Sri Ashok Samrat	06546-270752	8102213741 dao.hazaribagh@gmail.com
15	Bokaro	Sri Parasnath Oraon	06542-286284	9431361154 atmabokaro@gmail.com
16	Dhanbad	Sri Dinesh Kumar Manjhi	0326-2310354	8252792162 dhn.dao@gmail.com
17	Chatra	Sri Ashok Kumar Sinha	06541-22769	9973779188 tmactr@yahoo.com
18	Gridih	Sri Brajeshwar Dubey	06532-226674	9431933983 atma20giridih@rediffmail.com
19	Koderma	Sri Laliteswar Prasad	06534-252826	9939150275 atmakoderma2009@rediffmail.com
20	Ramgarh	Sri Ashok Samrat	06553-231353	8102213741 atmaramgarh@gmail.com
21	JDA, Dumka	Sri Ram Narayan Prasad	06434-230673	9431164924 jdadumka@rediffmail.com
22	D.A.O. Dumka	Sri Surenadar kumar	06434-22380	9572859220 atma_dumka@rediffmail.com
23	Deoghar	Sri Shyam Narayans Saraswati	06432-234802	9431396555 atmadeoghar@rediffmail.com
24	Godda	Sri Suresh Tirkey	06422222226	8809069725 shivashind@gmail.com
25	Jamtara	Sri Ajay kumar singh	06433-223064	9471149500 atmajmt@gmail.com
26	Pakur	Sri Mithilesh Kalindi	06435-220602	9308723800 atma_pkr@rediffmail.com
27	Sahebganj	Sri Umesh Tirkey	06436-222429	9430357752 atmasahibganj@rediffmail.com

भूमि संरक्षण निदेशालय

Sl.	Name	Designation	Mobile No.
1	Sri Fanendra Nath Tripathi	Director, Soil Conservation, Jharkhand Ranchi	9431188371
2	Sri R.P Singh	J.D.A (Engg.), Directorate of Soil Conservation, Jharkhand, Ranchi.	9431395373
3	Sri Rajeev Kumar	Deputy Director, Soil Conservation Ranchi	9431185651
4	Sri Sunil Kumar	Deputy Director, Soil Conservation Research Centre, Jharkhand, Hazaribagh	9431115269
5	Sri Santosh Kumar	Assistant Director (Survey) Soil Conservation, Hazaribagh	9835345613
6	Sri Brahmadeo Sah	Assistant Director (Survey) Soil	9934156377

		Conservation, Ranchi	
7	Sri Om Prakash Kumar	District Soil Conservation Officer, Ranchi	9905118725
8	Sri Vijay Anand	District Soil Conservation Officer, Gumla	9931832986
9	Sri Satendra Prasad	District Soil Conservation Officer, Garhwa	7870234063
10	Sri Jay Prakash Tiwari	District Soil Conservation Officer, Daltanganj	9431182155
11	Dr. Dilip Kumar Gupta	District Soil Conservation Officer, Deoghar	9006577503
12	Sri Rajendra Kishor	District Soil Conservation Officer, Chaibasa	9431361632
13	Sri Kalipad Mahto	District Soil Conservation Officer, Jamshedpur	9431167217
14	Sri Anil Kumar	Soil Conservation Officer, Ranchi	9431105443
15	Sri Arun Kr. Singh	Soil Conservation Officer, Bundu	9334605907
16	Sri Bimal Lakra	Soil Conservation Officer, Khunti	7739364560
17	Sri Vidya Bhushan Singh	Soil Conservation Officer, Lohardega	9905794959
18	Sri Kalipad Mahto	Soil Conservation Officer, Jamshedpur	9431167217
19	Sri Kalipad Mahto	Soil Conservation Officer, Ghatshilla	9431167217
20	Sri Ranjeet Das	Soil Conservation Survey Officer, Chaibasa	9470176461
21	Sri Ranjeet Das	Soil Conservation Officer, CKP.	9470176461
22	Sri Vijay Anand	Soil Conservation Officer, Gumla	9931832986
23	Ashok Kumar Choudhry	Soil Conservation Officer, Simdega	7033886711
24	Sri Saban Guriya	Soil Conservation Officer, Latehar	9199458754
25	Sri Vijay Bahudur Singh	Soil Conservation Officer, Daltanganj	9430702024
26	Sri Ram Kumar Singh	Soil Conservation Survey Officer, Deoghar	9431276916
27	Sri Subodh Pd. Singh	Soil Conservation Officer, Jamtara	8002319581
28	Sri Ramanandan Prasad	Soil Conservation Officer, Amrapara (Pakur with Godda)	9431105529
29	Dr. Madan Mohan Jaiswal	Soil Conservation Survey Officer, Dumka	9430164094
30	Sri Gopal Thakur	Soil Conservation Officer, Sahebganj	9431150217
31	Sri R.K. Kanujiya	Soil Conservation Survey Officer, Hazaribagh (Ramgarh)	9431167532
32	Sri R.N. Rajak	Soil Conservation Survey Officer, Bokaro	9279865727
33	Sri Brijlal Prasad	Soil Conservation Survey Officer, Dhanbad	9431503110
34	Sri Shivpujan Ram	Soil Conservation Officer, Chatra (Koderma)	9431325924

35	Sri C.H Bara	Soil Conservation Officer, Giridih	9304720007
36	Sri Ramashrai Ram	Soil Conservation Officer, Garhwa	9430331515 9431192883

उद्यान निदेशालय

Sl.No.	*District*	*Name & designation of officer*	*Contact details*	*Email-Id*
1	Ranchi	Director Horticulture	9431106932	ddhranchi@rdiffmail.com
2	Ranchi	Deputy Director Horticulture	8084711397	ddhranchi@rdiffmail.com
3	Hazaribagh	Umesh Prasad , A.D.H	9431357389	
4	Dumka	Om prakash Choudhary D.H.O	9308754009	
जिला उद्यान पदाधिकारी				
5	Ranchi	Anjani kumar Misra D.H.O	8603803081	
6	Lohardaga	Emlin Purti D.H.O	9431905108	dholohardaga@gmail.com
7	Gumla	Arun Kumar D.H.O	9771802670	gumlahorti@gmail.com
8	W. Singhbhum	S.M.S Mahashivalinga D.H.O	9523693676	dhoeastsinghbhum@gmail.com
9	E.Singhbhum	Bijay Kujur	9801289720	nhmcbsa2@gmail.com
10	Palamu	Mukku Ram D.H.O	9534162378	atmapalamau@rediffmail.com dhopalamu@gmail.com
11	Hazaribagh	Ashok Samrat D.H.O	8102213741	dho_hazaribagh@reduffmail.com dao.hazaribagh@gmail.com
12	Dhanbad	Sunil Kumar D.H.O	9470131798	dhn.dao@gmail.com
13	Giridih	Sri Kishun D.H.O	9430755234	atma20giridih@rediffmail.com
14	Deoghar	Om prakash Choudhary D.H.O	9308754009	dhodeoghar@gmail.com atmadeoghar@rediffmail.com
15	Dumka	Om prakash Choudhary D.H.O	9308754009	atma_dumka@rediffmail.com
16	Sahebganj	Om prakash Choudhary D.H.O	9308754009	atmasahibganj@rediffmail.com
17	Godda	Lakshman Oraon D.H.O	9431738222	atmagodda@gmail.com
अनुमण्डलीय कृषि पदाधिकारी सह जिला उद्यान पदाधिकारी				
18	Simdega	Animanand Toppo S.A.O. Cum D.H.O	9431526034	simdegagriculture@gmail.com
19	Saraikela	S.M.S Mahashivalinga D.H.O (Aditional Charge)	7488570971	nhmcbsa2@gmail.com
20	Garhwa	Ravish Chandra S.A.O. Cum D.H.O	9905102791	atmagarhwa2007@gmail.com

21	Latehar	Mukku Ram D.H.O	9534162378	atmalatehar@gmail.com
22	Chatra	Ashok Kumar Sinha S.A.O Cum D.H.O	9973779188	atmactr@rediffmail.com
23	Kodarma	Laliteswar Prasad S.A.O. Cum D.H.O	9939150275	atmakoderma2009@rediffmail.com
24	Bokaro	Paras Nath oraon S.A.O.Cum D.H.O	9431361154	atmabokaro@gmail.com
25	Jamtara	Ajay Kumar Singh S.A.O. Cum D.H.O	9471149500	atmajmt@gmail.com
26	Pakur	Mithilesh kalindi S.A.O. Cum D.H.O	9308723800	atma_pkr@rediffmail.com

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची

क्रॉ	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री गणेश गंझू, मा० स०वि०स०	अध्यक्ष	9934489999
2	श्रीमती पूजा सिंघल, भा०प्र०से०	प्रबन्ध निदेशक	9431114011
3	श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से०	निदेशक निगरानी	9430172900
4	श्रीमती सुनिता कुमारी चौरसिया, झा०प्र०से०	प्रबन्ध निदेशक के सचिव	9431394854
5	श्री अजीत कुमार सिंह	निदेशक विपणन	9431128211
6	श्री गुरुमित सिंह	अध्यक्ष के आप्त सचिव	9431165145
7	श्री रामवृक्ष माली	प्रबन्ध निदेशक के निजी सहायक	9431104931
8	श्री बेनी लाल रजक	लेखापदाधिकारी -सह-लेखा नियंत्रक	9534191755 9431178903
9	श्री केवल उरांव	सहायक निदेशक योजना एवं शोध	9534034544
10	श्री यदुनन्दन प्रसाद	सहायक अभियन्ता-सह- मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक	9431354947

पशुपालन निदेशालय

अधिकारी का पदनाम	**दूरभाष संख्या**	**ई-मेल**
	कार्यालय	
निदेशक, पशुपालन	0651-2491426	ahdjharkhand@gmail.com
उप निदेशक (योजना)	0651- 2490128	ahdjharkhand@gmail.com
उप निदेशक (सूकर विकास)	0651-2491425	ahdjharkhand@gmail.com
निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, कांके	0651-2451135	iahp.kankeranchi@yahoo.com
भेंड़पालन पदाधिकारी	0651-2490128	ahdjharkhand@gmail.com

गव्य विकास निदेशालय

क्रॉ	नाम/पदनाम	पदस्थापन/जिला	सम्पर्क संख्या
1	श्री शैलेन्द्र कुमार, निदेशक, गव्य	गव्य विकास निदेशालय	9939567407
2	श्री मुकुल प्रसाद सिंह, मुख्य अनुदेशक-सह-सहायक निदेशक (गव्य)	प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, राँची/ गव्य विकास निदेशालय	9771493920
3	श्री अजीत कुमार, सहायक निदेशक (गव्य)	गव्य विकास निदेशालय	9835540098
4	श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक (गव्य)	गव्य विकास निदेशालय	9431161195
5	श्री चन्द्र कुमार सिंह, सहायक निदेशक (गव्य)	गव्य विकास निदेशालय	9431470031
6	श्री सुरेश कुमार सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	राँची	9430689555
7	श्री त्रिदेव मंडल, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	लोहरदगा	9835849175 7870309585
8	श्री शशांक शेखर प्रसाद सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	गुमला सिमडेगा	9431797296
9	श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	खूँटी	9431161195
10	श्री सुबोध प्रसाद, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	चाईबासा	9431975601
11	श्री अनिल कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	सरायकेला-खरसांवा	9431570319
12	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	जमशेदपुर	9835193927
13	श्री सुरेन्द्र मोहन कतरयार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	बोकारो अतिरिक्त प्रभार धनबाद	9431382576
14	श्री उमेश प्रसाद, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	गिरिडीह	9835334533
15	श्री कौशलेन्द्र कुमार सिंह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	हजारीबाग कोडरमा	9431177449
16	श्री नवल किशोर प्रसाद, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	लातेहार	8877387001
17	श्री सुजीन्द्र प्रसाद सिन्हा,	पलामू	9507217790

	जिला गव्य विकास पदाधिकारी		
18	श्री अशोक कुमार सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	चतरा	9431368026
19	श्री शम्मी कपूर, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	गढ़वा	9334453400
20	श्री संजीव रंजन कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	देवघर जामताड़ा अतिरिक्त प्रभार साहेबगंज	9431335128
21	श्री चौधरी रत्नेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	गोड्डा	8235330900
22	श्री अरूण कुमार सिन्हा, मुख्य अनुदेशक-सह-जिला गव्य विकास पदाधिकारी	दुमका	9304447523
23	श्री धर्मेन्द्र प्रसाद विद्यार्थी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	पाकुड़	9431749703
24	श्री विनोद कुमार सिन्हा, जिला गव्य विकास पदाधिकारी	रामगढ़	9470361824

<u>मत्स्य निदेशालय</u>

क्र०	**पदाधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**पता**	**दूरभाष संख्या**	**मोबाईल संख्या**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	श्री राजीव कुमार	निदेशक मत्स्य	मत्स्य निदेशालय डोरण्डा, राँची	0651-2480747	9431106932
2	श्री मनोज कुमार	संयुक्त मत्स्य निदेशक	मत्स्य निदेशालय डोरण्डा, राँची	0651-2480437	9431039362
3	श्री हींरगनाथ द्विवेदी	उप मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण)	मत्स्य निदेशालय डोरण्डा, राँची	-	9835210462
4	श्री आशीष कुमार	उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)	मत्स्य निदेशालय डोरण्डा, राँची	-	9430783037
5	श्रीमती लिपिका	सहायक मत्स्य निदेशक	मत्स्य निदेशालय	-	9431105224

	बनर्जी	(तकनीकी)	डोरण्डा, राँची		
6	श्री ढेना किस्कू	अवर सचिव	मत्स्य निदेशालय डोरण्डा, राँची	-	9431176181
7	श्री मनोज कुमार	सहायक मत्स्य निदेशक,	मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, धुर्वा, राँची	06546-2440885	9431127930
8	श्री मनोज कुमार ठाकुर	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	जिला मत्स्य कार्यालय, डोरण्डा, राँची	0651-2482698	9431151839
9	श्रीमती प्रभा निर्मला मिंज	जिला मत्स्य पदाधिकारी, खँूटी	जिला मत्स्य कार्यालय, प्रखण्ड कार्यालय के निकट, खूंटी	06528-221100	7209945849
10	श्रीमती सीमा कुमारी कुजूर	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	जिला मत्स्य कार्यालय, डोरण्डा, गुमला उपायुक्त आवास के निकट	06524-223250	9570034613
11	श्री विरेन्द्र कुमार बिन्हा	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	जिला मत्स्य कार्यालय, डोरण्डा, लोहदगा नदिया स्कुल के निकट	06526-223403	9835124498
12	सुश्री दिव्या: बुलाब बाअ:	जिला मत्स्य पदाधिकारी	जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा	06524-226348	9931555774
13	श्रीमती पेरिशेटी भार्गवी	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	जिला मत्स्य कार्यालय, रेलवे गोदाम के पीछे	06526-226796	9576556377
14	श्री संजय कुमार गुप्ता	जिला मत्स्य पदाधिकारी लातेहार	स्टेट बैंक के सामने, लातेहार	06565-24353	9431176810
15	मो० मुजाहिद अंसारी	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा	पिपराकलां, गढ़वा	06561-2482698	9708270388 9955019187
16	श्री अमरेन्द्र कुमार	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक	करणडीह, जमशेदपुर	0657-2495690	9431089896

		पदाधिकारी, पू० सिंहभूम			
17	सुश्री नीलम सरोज एक्का	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पू० सिंहभूम	पुलिस लाईन के निकट	06582-257653	9934396413
18	श्री अरूप कुमार चौधरी	जिला मत्स्य पदाधिकारी सरायकेला-खरसावा	आत्मा कार्यालय के निकट	06597-234889	9661469145
19	श्री शम्भू प्रसाद यादव	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग	नूरा, हजारीबाग	06546-263198	9431051839
20	श्री दीपक कुमार सिंह	जिला मत्स्य पदाधिकारी रामगढ़	बिजुलिया तालाब	06553-231484	9431347984
20	मो0 कमरूजमा	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा	पुलिस लाईन के निकट	06541-222885	9955219683
21	श्री दीपांकर सीट	जिला मत्स्य पदाधिकारी कोडरमा	समाहरणालय	06534-252810	9905581347
22	श्री नवाराजन तिर्की	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बोकारो	प्रखण्ड के निकट	06542.222366	9931500747
23	श्रीमती रितु रंजन	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह	पुराना जेल	06532-225436	8002848209
24	श्री अशोक कुमार सिंह	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद	माडा कॉलोनी, हीरापुर	0326-2310438	8987462847
25	श्रीमती अलका पन्ना	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका	खूंटा बाँध	06434-223903	9431355566
26	श्री रौशन कुमार	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, देवघर	जलसार	06432-222138	9304826523
27	श्री रविरंजन कुमार	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोड्डा	बस स्टैण्ड के निकट	06422-220464	9431365877

28	श्री जयंत रंजन	जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज	कृषि फार्म	06436-222149	9835031630
29	श्रीमती रचना निश्चल	जिला मत्स्य पदाधिकारी पाकुड़	रानी दिघी तालाब, तांतीपाड़ा	06435-220656	7759908339
30	श्रीमती मरियम मुर्मू	जिला मत्स्य पदाधिकारी जामताड़ा	सहाना बाँध		9431163718
31	श्री प्रदीप कुमार	मुख्य अनुदेशक, किसान प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, रांची	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र, धुरवा, रांची	0651-2440263	8271732547

क्र.	नाम एवं पदनाम	दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०
1	मीना ठाकुर (भा०प्र०से०), निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची	0651- 2400490
2	निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोषांग	0651- 2400490
3	स्मिता टोप्पो (झा०प्र०से०), संयुक्त निबंधक (मुॉ), सहयोग समितियाँ	9431161250
4	जयदेव प्रसाद सिंह (झा०प्र०से०), उप निबंधक, सहयोग समितियाँ	9431255524
5	नवनीत किशोर नन्द (झा०प्र०से०), अवर सचिव	9431575844
6	प्रमोद कुमार (झा०प्र०से०), अवर सचिव	9431592804
7	चम्बरा डोडराय (झा०प्र०से०), अवर सचिव	9709277025

निबंधक, सहयोग समितियाँ महत्वपूर्ण संपर्क संख्या

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 197--50 ।